

उत्तर प्रदेश के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

2016 - 2017



अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश



अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश
के
आय-व्ययक का
आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

(2016-2017)



अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान
उत्तर प्रदेश
दिसम्बर - 2016

website <http://updes.up.nic.in>.

प्राक्कथन

आय-व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख है, जिसमें सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन के आर्थिक प्रभाव को सुगमता पूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965-66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966-67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बंधी वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957-58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण वर्ष 1967-68 से तैयार कर रहा है। प्रदेश में यह कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान द्वारा केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देश एवं वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की आवश्यकताओं के अनुसार किया जा रहा है।

आय-व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन एवं अन्तरण, वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन तथा वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन के विभिन्न मदों के अधीन व्यय अनुमान दर्शाये गये हैं।

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अन्तर्गत व्यय के मदों को कार्य के आधार पर विभिन्न नौ भागों यथा सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था, सामान्य शोध, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, आवास एवं सामुदायिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक, आर्थिक एवं अन्य सेवाओं में बांटते हुये चालू व्यय एवं पूँजीगत व्यय/परिव्यय का अंकलन दर्शाया गया है।

आय-व्ययक वर्गीकरण की प्रस्तुत पुस्तिका को श्री ओ०पी०सिंह, संयुक्त निदेशक, श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक एवं श्रीमती डुमनेश दीक्षा साहू, अर्थ एवं संख्याधिकारी की कुशल देख-रेख में तैयार किया गया है। राज्य आय अनुभाग के श्री जितेन्द्र कुमार मिश्र तथा सुनील कुमार, अपर सांख्यिकीय अधिकारी, श्रीमती आभा, कनिष्ठ सहायक तथा ग्राफ अनुभाग के सहायकों के द्वारा किया गया परिश्रम विशेष रूप से सराहनीय है।

आशा है प्रस्तुत अंक पूर्व अंकों की भाँति प्रशासकों, अर्थशास्त्रियों, नीतिनिर्धारकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

लखनऊ:

दिनांक: २१, दिसम्बर, 2016

(जी०एस०कटियार)
आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक।

विषय-सूची

भाग-1 - आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
1- भूमिका	1 - 4
2- लेखा विवरण	5 - 14
3- सामंजस्य	15 - 18
4- कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष	19 - 25
5- लेखाओं पर टिप्पणी	26 - 31

भाग-2 - कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

6-	(1) आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण	32
	(2) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के सिद्धान्त	32 - 33
	(3) सारणियां	33 - 53
7-	कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी-	54 - 57
	परिशिष्ट-1 (अ) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय	58 - 59
	1 (ब) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय का प्रतिशत वितरण	60 - 61

.....

भाग-1

आर्थिक वर्गीकरण

अध्याय--1

भूमिका

1.1- आय-व्ययक राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण वार्षिक वित्तीय अभिलेख है, जिसमें सरकार के विभिन्न स्त्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इसमें प्रदेश सरकार के समस्त वित्तीय लेन-देन का पूर्ण विवरण प्रत्येक वर्ष आय-व्ययक स्मृति-पत्र और ब्योरेवार अनुमान एवं अनुदान में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें कमागत तीन वर्षों, गत वर्ष के वास्तविक, चालू वर्ष के पुनरीक्षित तथा आय-व्ययक वर्ष के अनुमानित आय एवं व्यय का विवरण दिया जाता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रक की आवश्यकता के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत रहता है। इस प्रकार आय-व्ययक केवल वैधानिक नियंत्रण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन-देन के लेखा सम्परीक्षा सम्बंधी सीमित उद्देश्य की पूर्ति करता है।

1.2- पंचवर्षीय योजनाओं में इन वित्तीय आंकड़ों के प्रयोग का महत्व बढ़ने के साथ आय-व्ययक सम्बंधी आंकड़ों एवं तथ्यों के प्रस्तुतीकरण के विधि-विधान में काफी परिवर्तन एवं सुधार किये गये हैं। फिर भी आय-व्ययक में दिये गये आंकड़ों का वर्तमान प्रणाली से विभिन्न लेन-देनों के आर्थिक प्रभाव का सरलता से सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। उदाहरणार्थ आय-व्ययक सम्बंधी संसाधनों से पूंजी निर्माण, राज्य सरकार की बचत, सरकार द्वारा राज्य आय में अंशदान, राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन से घाटे के परिणाम का ज्ञान, राज्य के आय-व्ययक से नहीं हो पाता है। इसी प्रकार कुछ विभागों द्वारा चलाये गये वाणिज्यिक उपकरणों के कार्यवाहक व्यय से उत्पादन की लागत का बोध तो होता है किन्तु “अन्तिम वस्तुओं एवं सेवाओं” पर किये गये व्यय का कोई संकेत नहीं मिलता है। अतः इसे राज्य सरकार के कुल व्यय में शामिल नहीं होना चाहिये।

1.3- राज्य सरकार के आय-व्ययक में प्रस्तावित व्यय की मदों को मुख्यतः चालू खपत सम्बंधी व्यय, पूंजी निर्माण और वित्तीय निवेश आदि के रूप में बांटा जाता है। आय-व्ययक से इस बात का ज्ञान सुगमता से नहीं हो पाता है कि किसी विशेष योजना के अन्तर्गत चालू खपत सम्बंधी व्यय तथा पूंजी अथवा व्यवस्था सम्बंधी व्यय पृथक-पृथक कितना है। उदाहरण के लिये खपत सम्बंधी व्यय में प्रशासनिक व्यय के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवस्था भी सम्मिलित रहती है जिसका विकास में उतना ही योगदान है जितना वस्तुगत पूंजी निर्माण का होता है। विकासशील अर्थ व्यवस्था में राजकीय व्यय का एक महत्वपूर्ण योगदान है अतः राजकीय लेन-देन का अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले प्रभाव एवं शेष अर्थ व्यवस्था के अन्य खण्डों से उपलब्ध तत्सम्बंधी प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। शेष अर्थ व्यवस्था से तात्पर्य राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं- जैसे- केन्द्रीय सरकार, अन्य राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, निजी वाणिज्यिक निगमों, कम्पनियों और व्यक्तियों से है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में समस्त सरकारी व्योरेवार

व्यय को पृथक करके उनको अर्थ पूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूँजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में व्ययों को सम्बंधित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक सेवाओं आदि के अन्तर्गत बांटकर दिया गया है।

1.4 उत्तर प्रदेश सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन के आर्थिक प्रभाव को सुगमता पूर्वक समझने के उद्देश्य से आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण सर्वप्रथम वर्ष 1965-66 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। वर्ष 1966-67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्य सम्बंधी वर्गीकरण भी आरम्भ किया गया। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग, केन्द्रीय सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957-58 से तथा आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण वर्ष 1967-68 से तैयार कर रहा है।

1.5- इस प्रकाशन में अध्ययन का विषय क्षेत्र वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक के समान ही है, अर्थात् वर्ष 2016-2017 के लिये आय-व्ययक में दिये गये वर्ष 2014-2015 के वास्तविक व्यय, वर्ष 2015-2016 के पुनरीक्षित अनुमान तथा वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक अनुमानों के विभिन्न मदों को पुनर्वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके उनका विश्लेषण किया गया और उन्हें आर्थिक वर्गीकरण के साथ-साथ कार्यात्मक वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

1.6- राज्य सरकार के समस्त लेन-देन को वर्गीकृत एवं समूहीकृत करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित रीति विधान को अपनाया गया है और भारत सरकार द्वारा गठित क्षेत्रीय लेखा समिति की अन्तिम रिपोर्ट में दी गई संस्तुतियों के आधार पर इसे संशोधित भी किया गया। वर्ष 1983-84 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला में हुये विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुये पुस्तिका के विवरणों में आवश्यक संशोधन पुनः किये गये। उदाहरणार्थ परिवहन एवं संचार के अनुरक्षण एवं मरम्मत सम्बंधी व्यय का आधा पूँजीगत तथा आधा भाग खपत सम्बंधी व्यय माना गया। वर्गीकरण हेतु अपनायी गयी प्रणाली के अनुसार एक ओर चालू लेन-देन को पूँजीगत लेन-देन से पृथक किया गया तथा दूसरी ओर ‘वस्तुओं और सेवाओं’ में लेन-देन को अन्तरण से पृथक कर दिया गया। इसी प्रकार राजकीय प्रशासन से चालू लेन-देन विभागीय वाणिज्यिक उपकरणों के चालू लेन-देन से पृथक कर दिया गया क्योंकि राजकीय प्रशासन के ‘वस्तुओं और सेवाओं’ पर चालू व्यय अन्तिम परिव्यय है जबकि वाणिज्यिक उपकरणों के चालू व्यय अन्तर्वर्ती व्यय है- जैसे कच्चा माल, ईधन इत्यादि के मूल्य। इसी प्रकार शुद्ध विभागीय लेन-देन को भी ‘वस्तुओं और सेवाओं’ में लेन-देन एवं अन्तर से पृथक कर दिया गया।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों से अगस्त, 1986 में हुये विचार विमर्श के अनुसार कार्य सम्बंधी वर्गीकरण की मदों में कुछ संशोधन किये गये जिसके अनुसार पूर्व वर्षों में प्रस्तुत मद-5 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाओं को दो उपमदों “समाज कल्याण सेवायें” तथा “समाज सुरक्षा सेवाओं” में विभक्त कर दिया गया।

मद-8.5 परमाणविक ऊर्जा की मद अतिरिक्त मद के रूप में जोड़ी गई। इसी प्रकार मद-9 अन्य सेवाओं को दो उपमदों “विपदा सहायता” तथा “अन्य विविध कार्य” में विभक्त कर प्रस्तुत किया गया।

राष्ट्रीय लेखा सलाहकार समिति की दिनांक 3 से 5 जून, 1987 की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार वर्गीकरण में कुछ मुख्य परिवर्तन किये गये। स्कूल के बच्चों को भोजन एवं पौष्टिक आहार पर किये गये व्यय तथा गुप्त सेवा व्यय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर व्यय न मानकर चालू अन्तरण माना गया तथा आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। इसी प्रकार पशु स्वास्थ्य सेवाओं पर किये गये व्यय को कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अन्तर्गत आर्थिक सेवा न मानकर स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत वर्गीकरण किया गया। अभी तक सम्पूर्ण पेंशन राशि को सरकारी प्रशासन के अन्तर्गत माना जाता रहा था, जिसे अब सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वेतन और मजदूरी पर हुये व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। इसे पुनः कार्य सम्बंधी वर्गीकृत मदों के वेतन और मजदूरी सम्बंधी व्यय के अनुपात में विभाजित किया गया। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चालू खाते में वस्तुओं और सेवाओं पर हुये व्यय में से किराये की राशि को अलग कर अतिरिक्त मद के रूप में प्रस्तुत किया गया।

1.7- राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी समस्त लेन-देनों को निम्न 6 प्रमुख लेखाओं में पुनर्गठित किया गया है। प्रत्येक लेखा में दो पक्ष हैं- आय पक्ष तथा व्यय पक्ष

लेखा 1-वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण- सरकारी प्रशासन का चालू खाता।
लेखा 2-वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता।

लेखा 3-वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण- सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूँजी खाता।

लेखा 4-वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

- सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूँजी खाता।

लेखा 5- वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

- सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूँजी खाता।

लेखा 6-सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूँजी समाधान खाता।

1.8- प्रस्तुत पुस्तिका में आय-व्ययक के कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न मदों के अन्तर्गत वास्तविक व्यय एवं उसका प्रतिशत वितरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय के वास्तविक एवं प्रतिशत वितरण सम्बंधी वर्ष 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 तथा 2014-2015 के आकड़ों की तुलनात्मक स्थिति परिशिष्ट के रूप में दिखायी गयी है।

अध्याय-2

लेखा विवरण

2.1- आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन का पुनर्वर्गीकरण तथा पुनः समूहीकरण करके जिन 6 लेखाओं को प्रस्तुत किया गया है उन्हें देखने से स्पष्ट है कि लेखा-1 से 3 सरकार के वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के लेन-देन से सम्बंधित है। लेखा-1 के व्यय पक्ष में सरकार के खपत सम्बंधी व्यय तथा चालू अन्तरण का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें खपत सम्बंधी व्यय के अन्तर्गत मजदूरी व वेतन एवं पेंशन तथा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय को अलग-अलग दर्शाया गया है। इस लेखा के आय पक्ष में सरकार के प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय, परिवारों से अन्तरण तथा केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का ब्यौरा दिया गया है। लेखा-2 में राज्य सरकार के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों जैसे- बन, सिंचाई, दुग्ध विकास, राजकीय मुद्रणालय तथा उद्योग द्वारा उत्पादन व्यय एवं प्राप्ति का ब्यौरा दिया गया है। लेखा-3 में विभिन्न मदानुसार सरकारी प्रशासन व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के पूँजी व्यय तथा पूँजी अन्तरण का विवरण दिया गया है।

2.2- लेखा- 4 से 6 तक सरकार के समस्त वित्तीय लेन-देनों का ब्यौरा दिया गया है जो शेष अर्थ व्यवस्था पर सरकार के शुद्ध वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। लेखा- 4 में वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि सम्बंधी समस्त लेन-देनों को वर्गीकृत किया गया है जिसमें अंशकों में निवेश, पूँजी निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम, चालू खपत हेतु ऋण एवं अग्रिम आदि सम्मिलित हैं। लेखा- 5 सरकार के वित्तीय दायित्वों को दर्शाता है। जिसमें सार्वजनिक ऋण, निक्षेप तथा विप्रेषण सम्मिलित किया गया है। लेखा- 6 सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूँजी का समाधान खाता है। यह खाता लेखा- 3, 4, 5 की शुद्ध स्थिति का समावेश करते हुये राज्य सरकार के रोकड़ स्थिति से सम्बंधित समस्त लेन-देन के प्रभाव को दर्शाता है।

2.3- उपरोक्त 6 लेखा आगे के पृष्ठों पर दिये गये हैं।

.....

उत्तर प्रदेश
लखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय 1	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- खपत सम्बंधी व्यय-	5870289	6936178	7849121
1.1- कर्मचारियों को प्रतिकर	5113059	5812237	6836983
(क) मजदूरी और वेतन	3080344	3557961	4258261
(ख) पेशन	2032715	2254276	2578722
1.2- वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध क्य-	757230	1123941	1012138
(क) वस्तुओं और सेवाओं का क्य*	1454998	2072323	2217002
(ख) घटाइये- वस्तुओं और सेवाओं का विक्य	697768	948382	1204864
2- अन्तरण अदायगियां-	9585638	13165934	13984056
2.1- ब्याज	1796141	2058744	2666521
2.2- अनुदान-	6225728	8958468	9128932
(क) स्थानीय निकायों को	1142542	1149549	1245267
(ख) सहकारी संस्थाओं को	0	0	0
(ग) शिक्षा संस्थाओं को	3290393	4229284	5031456
(घ) अन्य संस्थाओं	1792793	3579635	2852209
2.3- राज सहायता **	1404186	1557533	1730915
2.4- अन्य चालू अन्तरण	159583	591189	457688
3- चालू खाते में बचत	2121331	2608016	3946509
4- योग	17577258	22710128	25779686

* 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-2017 में राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य कमशः 13619 लाख रु0, 12796 लाख रु0 एवं 15198 लाख रु0 के बराबर मानकर प्रशासनिक खपत सम्बंधी व्यय में शामिल कर लिया गया है।

** 2014-2015, 2015-2016 एवं 2016-2017 में वानिकी, उद्योग तथा सिंचाई प्रतिष्ठानों की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य कमशः 639416 लाख रु0, 729078 लाख रु0 एवं 858180 लाख रु0 राज सहायता मान कर सम्मिलित कर लिया गया है।

सरकार

-1

-सरकारी प्रशासन का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
5	6	7	8
5- कर राजस्व-	14071344	18058774	20677633
5.1- प्रत्यक्ष कर	5025782	7083727	6150759
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	1661352	2309660	2586819
(ख) राज्य कर	3364430	4774067	3563940
5.2- अप्रत्यक्ष कर-	9045562	10975047	14526874
(क) केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	437036	413436	483808
(ख) राज्य कर	8608526	10561611	14043066
6- उद्यमों और सम्पत्तियों से आय-	205320	91131	95155
6.1- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से लाभ	0	0	0
6.2- विनियोग से आय	825	4500	800
6.3- राज्य विद्युत परिषद् से ब्याज की प्राप्तियाँ	88478	0	0
6.4- ब्याज की प्राप्तियाँ	51500	7395	8124
6.5- सम्पत्तियों से अन्य आय	64517	79236	86231
7- परिवारों से अन्तरण	7467	10219	7052
8- राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ व्यवस्था से वसूलियाँ	3293127	4550004	4999846
9- योग	17577258	22710128	25779686

उत्तर प्रदेश
लखा

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

व्यय	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- मजदूरी और वेतन	484293	600985	714091
2- वस्तुएं और सेवाएं	166026	160888	163241
3- किराया	208	33	114
4- मरम्मत और अनुरक्षण	41936	31373	44520
5- ब्याज	43399	65911	65911
6- अवमूल्यन के लिये व्यवस्था	0	0	0
7- ग्रहीत लाभ	0	0	0
8- सरकारी प्रशासन के चालू खाते में अन्तरित लाभ	0	0	0
9- योग	735862	859190	987877

सरकार

-2

-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

(लाख रुपयों में)

राजस्व	वास्तविक 2014–2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015–2016	आय-व्ययक अनुमान 2016–2017
5	6	7	8
10- विक्रय से आय-	735862	859190	987877
(क) चन*	82047	90955	107028
(ख) सिंचाई**	638550	751939	862011
(ग) दूध सम्पूर्ति	0	0	0
(घ) राजकीय मुद्रणालय #	15265	16296	18838
(ड.) उद्योग ##	0	0	0
11- अवमूल्यन रक्षित निधि पर ब्याज	0	0	0
12- योग	735862	859190	987877

*वानिकी द्वारा वर्ष 2014–2015, 2015–2016 एवं 2016–2017 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य कमशः 40541 लाख रु, 28455 लाख रु एवं 60228 लाख रु सम्मिलित है।

**सिंचाई प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 2014–2015, 2015–2016 एवं 2016–2017 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य कमशः 598875 लाख रु, 700623 लाख रु एवं 797952 लाख रु सम्मिलित है।

#राजकीय मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2014–2015, 2015–2016 एवं 2016–2017 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य कमशः 13619 लाख रु, 12796 लाख रु एवं 15198 लाख रु सम्मिलित है।

औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वर्ष 2014–2015, 2015–2016 एवं 2016–2017 में उठायी गयी हानियों का अभ्यारोपित मूल्य कमशः 0 लाख रु, 0 लाख रु एवं 0 लाख रु सम्मिलित है।

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण

संवितरण	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- सकल पूँजी निर्माण-	3797784	4740288	5528529
(अ)- सरकारी प्रशासन द्वारा	3416692	4206270	4834155
1.1- भवन तथा अन्य निर्माण-	3267944	4010166	4627308
क- भवन निर्माण-	1248012	1567605	1901844
(1)- नया परिव्यय	1248012	1567605	1901844
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
ख- अन्य निर्माण-	2019932	2442561	2725464
(1)- नया परिव्यय	2019932	2442561	2725464
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.2- मशीन एवं उपकरण-	117111	196114	206857
(1)- नया परिव्यय	117111	196114	206857
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.3- तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि-	31637	-10	-10
(1)- निर्माण सम्बंधी सामान	-7545	0	0
(2)- अन्न, उर्वरक आदि का भण्डार	39182	-10	-10
(ब)- वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा	381092	534018	694374
1.4- भवन तथा अन्य निर्माण-	148919	204215	192609
क- भवन निर्माण-	29	153	105
(1)- नया परिव्यय	29	153	105
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
ख- अन्य निर्माण-	148890	204062	192504
(1)- नया परिव्यय	148890	204062	192504
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.5- मशीन एवं उपकरण-	5073	4377	3500
(1)- नया परिव्यय	5073	4377	3500
(2)- नवीकरण एवं प्रतिस्थापन	0	0	0
1.6- तालिकागत सामान में शुद्ध वृद्धि	227100	325426	498265
2- पूँजी अन्तरण-	239243	339434	485976
2.1- पूँजी अनुदान स्थानीय निकायों को	130038	229776	368862
2.2- पूँजी अनुदान अन्य को	109205	109658	117114
2.3- जमीदारों और जागीरदारों आदि को प्रतिकर	0	0	0
3- योग	4037027	5079722	6014505

सरकार

-3

-सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूँजी खाता

(लाख रुपयों में)

प्राप्तियां	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
5	6	7	8
4- सकल बचत-	2121331	2608016	3946509
4.1- सरकारी प्रशासन के चालू खाते में बचत	2121331	2608016	3946509
4.2- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से अवमूल्यन के लिये व्यवस्था	0	0	0
4.3- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का ग्रहीत लाभ	0	0	0
5- पूँजी अन्तरण-	884162	857449	970528
5.1- सम्पदा शुल्क	0	0	0
5.2- भारत सरकार तथा अन्य राज्यों से पूँजीगत अनुदान, अंशदान और प्राप्तियां	884162	857449	970528
6- वस्तुओं और सेवाओं से सम्पूर्ण लेन-देन और अन्तरणों में शेष	1031534	1614257	1097468
7- योग	4037027	5079722	6014505

उत्तर प्रदेश सरकार

लेखा-4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूँजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2014-2015	पुरीकृत अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- निवेश	1152411	2271124	1210929
1.1- राजकीय उपकरणों में	1152411	2271124	1210929
1.2- अन्य उपकरणों में	0	0	0
2- ऋण एवं अग्रिम-	187264	988163	658798
2.1- पूँजी निर्माण हेतु	91429	764588	425149
(क) सहकारिता को	0	0	0
(ख) स्थानीय निकायों को	59515	55000	40000
(ग) राज्य विद्युत परिषद को	0	665200	332600
(घ) सार्वजनिक उद्यमों को	21575	32164	40325
(ड) अन्य को	10339	12224	12224
2.2- चालू खपत हेतु-	95835	223575	233649
(क) सहकारिता को	62490	152739	49326
(ख) स्थानीय निकायों को	0	0	0
(ग) सार्वजनिक उद्यमों को	14489	15000	40000
(घ) अन्य को	18856	55836	144323
3- योग	1339675	3259287	1869727
ख- आय-			
4- ऋणों की वसूलियां	26248	77223	30419
5- शेष-वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि	1313427	3182064	1839308
6- योग	1339675	3259287	1869727

उत्तर प्रदेश सरकार
लेखा-5
वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन
सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूँजी खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- सार्वजनिक ऋणों की वापसी-	941122	1761857	1511427
1.1- स्थायी ऋण	398737	469974	41461
1.2- केन्द्रीय सरकार से ऋण	136058	133919	133911
1.3- अन्य ऋण	406327	1157964	1336055
2- शेष-वित्तीय दायित्वों में शुद्ध बढ़ि	2359665	4987471	2975359
3- योग	3300787	6749328	4486786
ख- आय-			
4- सार्वजनिक ऋण	3552028	7742186	5826098
4.1- स्थायी ऋण	1750000	3413468	3324598
4.2- केन्द्रीय सरकार से ऋण	48598	60000	70000
4.3- अन्य ऋण	1580234	3818718	2031500
4.4- अल्पकालीन ऋण (शुद्ध)	173196	450000	400000
5- अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध)	168638	508590	456115
6- अर्तराज्यीय उचन्त लेखा (शुद्ध)	2126	0	0
7- अन्य- ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध)	-422005	-1501448	-1795427
8- योग	3300787	6749328	4486786

उत्तर प्रदेश सरकार
लेखा-6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूँजी समाधान खाता

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
क- व्यय-			
1- वस्तुओं और सेवाओं के सब लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (सन्तुलनकारी मद, लेखा-3)	1031534	1614257	1097468
2- वित्तीय परिसम्पत्तियों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद, लेखा-4)	1313427	3182064	1839308
3- रोकड़ बाकी में वृद्धि	14704	191150	38583
4- योग	2359665	4987471	2975359
ख- आय-			
5- वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि (सन्तुलनकारी मद, लेखा-5)	2359665	4987471	2975359
6- रोकड़ बाकी में कमी	0	0	0
7- योग	2359665	4987471	2975359

अध्याय-३

सामंजस्य (रिकन्सिलियेशन)

आय-व्ययक (वित्तीय विवरणी) में दिये गये राजस्व और व्यय के योग आर्थिक वर्गीकरण में दिये गये योगों से नहीं मिलते हैं। उदाहरणार्थ सामान्य आय-व्ययक में वर्ष 2016-2017 के लिये राजस्व लेखा की प्राप्तियां 281555.44 करोड़ रुपये रखी गयी है जबकि इस वर्गीकरण के लेखा-1 में राजकीय प्रशासन का इस वर्ष के लिये चालू राजस्व 257796.86 करोड़ रुपये निकाला गया है। इसी प्रकार वर्ष 2016-2017 के लिये राजस्व लेखा से बाह्य राजकीय पूँजीगत व्यय 71877.99 करोड़ रुपये हैं, जबकि यही धनराशि इसी वर्गीकरण के लेखा-3 में 60145.05 करोड़ रुपये हैं। इस वर्गीकरण के अनुसार विभिन्न अतिरेक तथा बचत आय-व्ययक में दिखाये गये अतिरेक एवं बचतों से भिन्न हैं। उदाहरणार्थ आय-व्ययक का राजस्व लेखा 28200.90 करोड़ रुपये का बचत इंगित करता है, जबकि आर्थिक वर्गीकरण में राजकीय प्रशासन (लेखा-1) का चालू खाता 39465.09 करोड़ रुपये का बचत प्रदर्शित करता है। सामान्य आय-व्ययक के पुनः वर्गीकरण के परिणाम स्वरूप उपरोक्त प्रकार की विषमताओं को देखते हुये यह आवश्यक है कि इन विषमताओं की व्याख्या की जाय। इसी उद्देश्य से आर्थिक वर्गीकरण के आंकड़ों का सामान्य आय-व्ययक में दिये गये राजस्व व्यय तथा पूँजी लेखा के आंकड़ों से सामन्जस्य प्रस्तुत किया गया है। यह सामन्जस्य प्राप्तियों और व्ययों के अपेक्षित अनुमान की तुलना के साथ-साथ पुनः वर्गीकरण में निहित समायोजनों को भी संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह सामन्जस्य अनुवर्ती सारणियों में दिखाया गया है।

.....

मद	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
चालू लेखा- राजस्व-			
1-राजस्व जैसा कि वित्तीय विवरण में दिखाया गया है	19342160	24772243	28155544
2- घटाइये-	1764671	2008781	2370509
(1) पूँजी लेखा में अतिरिक्त सम्पदा शुल्क	0	0	0
(2) भूमि और सम्पत्ति का विक्रय	4293	6959	6917
(3) वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति जिनको व्यय में से घटा दिया गया	697768	948382	1204864
(4) भारत सरकार से प्राप्त एवं पूँजी लेखा में अन्तरित पूँजी प्रकृति के अनुदान	884162	857449	970528
(5) निधियों से प्राप्तियां	0	0	0
(6) रोकड़ शेष के विनियोजन खाते पर ब्याज	46905	6694	964
(7) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बिक्री से आय	82827	117316	114499
(8) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की प्राप्तियां	43399	65911	65911
(9) पेशन सम्बंधी अंशदान और वसूलियां	5317	6070	6826
3- जोड़िये-	-231	-53334	-5349
(1) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो राजस्व की प्राप्तियों के रूप में दिखाई गई	0	-10	-10
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का लाभ	0	0	0
(3) अन्य प्रकोणी भद्रे	-231	-53324	-5339
4- कुल समायोजन	-1764902	-2062115	-2375858
5- आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू राजस्व (लेखा-1, मद-9)	17577258	22710128	25779686

सारणी- 3.2

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
चालू लेखा- व्यय-			
1- वित्तीय विवरणों में दिखाये गये राजस्व सम्बंधी व्यय	17102733	22935417	25335454
2- घटाइये-	1646575	2779971	3496928
(1) वस्तुओं एवं सेवाओं के विक्रय से प्राप्ति	697768	948382	1204864
(2) ऋण कम करना अथवा उसके परिवाह के लिये विनियोग	450000	696678	1077235
(3) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से ब्याज की वसूलियां को प्राप्तियां न मानना	43399	65911	65911
(4) रोकड़ शेष विनियोजन खाता पर ब्याज	46905	6694	964
(5) राजस्व लेखा में पूँजी जैसा व्यय	160208	294763	396385
(6) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू शुद्ध व्यय	82827	117316	114499
(7) पूँजी लेखा में लेखा पालन सम्बंधी अन्तरण	6790	5476	5666
(8) निधियों में अन्तरण (निधियों के अन्तरण के समायोजन के पश्चात)	153361	638681	624578
(9) पेशन सम्बंधी अंशदान और वसूलियां	5317	6070	6826
3- जोड़िये-	-231	-53334	-5349
(1) पूँजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	0	0	0
(2) राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां जो कि राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाई गई	0	-10	-10
(3) अन्य प्रकीर्ण मदे	-231	-53324	-5339
4- कुल समायोजन	-1646806	-2833305	-3502277
5- आर्थिक वार्गिकरण में दिखाया गया राजकीय प्रशासन का चालू व्यय (लेखा-1, मद 1+2)	15455927	20102112	21833177

(लाख रुपयों में)

मद	वार्षिक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
पूँजी लेखा- व्यय-			
1- वित्तीय विवरण में दिखाया गया राजस्व से चुकाया जाने वाला पूँजीगत व्यय	5329728	7357566	7187799
घटाइये-			
2- घटाइये-	1459699	2578083	1575346
(1) वित्तीय निवेश	1152411	2271124	1210929
(2) पूँजी लेखा में राजस्व जैसा व्यय	302995	300000	357500
(3) विभागीय वाणिज्यिक उपकरणों का चालू व्यय	0	0	0
(4) राजस्व प्राप्तियों में से भूमि और सम्पत्ति की विक्रय राशि को घटाया जाना	4293	6959	6917
3- जोड़िये-	166998	300239	402052
(1) राजस्व लेखे से चुकाया जाने वाला पूँजी व्यय	160208	294763	396385
(2) विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के राजस्व लेखा से चुकाया जाने वाला पूँजीगत व्यय	6790	5476	5666
(3) वसूलियों के लिये बजट में व्यय को पूरा करना	0	0	0
(4) निधियों से अन्तरण	0	0	0
(5) अन्य प्रकीर्ण मद्देन्द्रिय	0	0	1
4- कुल समायोजन	-1292701	-2277844	-1173294
5- आय-व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण में दिखाया गया पूँजीगत व्यय (लेखा-3, मद-3)	4037027	5079722	6014505

अध्याय-4

कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष

4.1- गत पृष्ठों में वर्णित लेखाओं में प्रदेश की शेष अर्थ-व्यवस्था की तुलना में राज्य सरकार के लेन-देनों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण से जिन महत्वपूर्ण निष्कर्षों का पता चलता है उनमें कुछ निम्नलिखित से सम्बंधित हैः-

- (क)- राज्य सरकार का कुल व्यय तथा अन्तिम परिव्यय;
- (ख)- आय-व्ययक सम्बंधी साधनों में से पूँजी निर्माण और शुद्ध पूँजी निर्माण;
- (ग)- राज्य सरकार की बचत;
- (घ)- राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन में होने वाले घाटे के विभिन्न स्तर;
- (ड)- राज्य सरकार द्वारा आय सूजन।

(क) (1)- कुल व्यय-

4.1.1- वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कार्य चालन व्यय को छोड़कर राज्य सरकार का अनुमानित कुल व्यय 296869.90 करोड़ रुपये है। यह व्यय 2015-2016 के पुनरीक्षित अनुमानों से 13230.92 करोड़ रुपये तथा 2014-2015 के वास्तविक खर्च से 88806.09 करोड़ रुपये अधिक है। व्यय के मुख्य मर्दों के अनुसार वितरण नीचे सारणी में दिया गया हैः-

सारणी-4.1 (लाख रुपयों में)

व्यय की मर्दें	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- अन्तिम परिव्यय	9668073	11676466	13377650
(क)- राजकीय खपत सम्बंधी व्यय (देखिये, लेखा-1, मर्द-1)	5870289	6936178	7849121
(ख)- सकल पूँजी निर्माण (देखिये, लेखा-3, मर्द-1)	3797784	4740288	5528529
2- राज्य के शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण अदायगियां	9824881	13505368	14470032
(क)- चालू अन्तरण (देखिये, लेखा-1, मर्द-2)	9585638	13165934	13984056
(ख)- पूँजी अन्तरण (देखिये, लेखा-3, मर्द-2)	239243	339434	485976
3- राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में वित्तीय निवेश और ऋण (शुद्ध)(देखिये, लेखा-4, मर्द-5)	1313427	3182064	1839308
4- कुल व्यय (1+2+3)	20806381	28363898	29686990

(क) (2) अन्तिम परिव्यय-

4.1.2- वर्ष 2016-2017 के लिये आय-व्ययक में 296869.90 करोड़ रुपये के अनुमानित कुल व्यय में से 133776.50 करोड़ रुपया या कुल व्यय का 45.1 प्रतिशत सरकार का अन्तिम परिव्यय है। 2015-2016 के पुनरीक्षित अनुमान एवं 2014-2015 के वास्तविक अन्तिम परिव्यय कमशः 116764.66 करोड़ रुपये एवं 96680.73 करोड़ रुपये है, जो कुल व्यय अर्थात् 283638.98 करोड़ रुपये एवं 208063.81 करोड़ रुपये का कमशः 42.2 एवं 46.5 प्रतिशत है। यह परिव्यय खपत और पूंजी निर्माण के लिये राज्य सरकार की वस्तुओं और सेवाओं की प्रत्यक्ष मांग को इंगित करते हैं। वर्ष 2016-2017 में कुल व्यय का शेष भाग 163093.40 करोड़ रुपये या 54.9 प्रतिशत अंश अन्तरण अदायगियां, वित्तीय निवेशों एवं ऋणों के रूप में शेष अर्थ-व्यवस्था को प्रदान करने के लिये अनुमानित हैं जो कि अन्य खण्डों से उनके चालू अथवा पूंजीगत प्राप्तियों को अनुपूरित करने के लिये है। कुल व्यय का शेष भाग वर्ष 2015-2016 (पुनरीक्षित अनुमान) और 2014-2015(वास्तविक) के लिये कमशः 166874.32 करोड़ रुपये तथा 111383.08 करोड़ रुपये तथा तत्सम्बंधी प्रतिशत कमशः 58.8 एवं 53.5 हैं।

(ख) (1)- सकल पूंजी निर्माण-

4.1.3- वर्ष 2016-2017 में राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कुल पूंजी निर्माण की धनराशि 55285.29 करोड़ रुपये आंकी गयी है, जो अन्तिम परिव्यय 133776.50 करोड़ रुपये का 41.3 प्रतिशत है। यह राशि वर्ष 2015-2016 के पुनरीक्षित अनुमानों से 7882.41 करोड़ रुपये एवं 2014-2015 के वास्तविक व्यय से 17307.45 करोड़ रुपये अधिक है।

(ख) (2)- शुद्ध पूंजी निर्माण-

4.1.4- वर्ष 2016-2017 में राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूंजी निर्माण अर्थात् स्थिर परिसम्पत्तियों तथा तालिकागत सामानों के भण्डार में वृद्धि 55285.29 करोड़ रुपये होने का प्राविधान है। वर्ष 2015-2016 पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार 47402.88 करोड़ रुपये तथा 2014-2015 के वास्तविक व्यय पर आधारित 37977.84 करोड़ रुपये थे। शुद्ध पूंजी निर्माण के विभिन्न वर्गों का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.2 (लाख रुपयों में)

पूंजी निर्माण की मद्देन्ह	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान		आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
		2015-2016	2016-2017	
1	2	3	4	
1-भवन तथा अन्य निर्माण कार्य {देखिये, लेखा-3, मद-1.1 क(1)+ख(1)तथा 1.4 क (1)+ख(1)}	3416863	4214381	4819917	
2- मशीन और उपकरण {देखिये, लेखा-3, मद-1.2 (1) व 1.5 (1) }	122184	200491	210357	
3- तालिकागत सामान में वृद्धि (देखिये लेखा-3, मद-1.3 व 1.6)	258737	325416	498255	
4- शुद्ध पूंजी निर्माण (1+2+3)	3797784	4740288	5528529	

(ख) (3)- शुद्ध पूँजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता-

4.1.5- राज्य सरकार द्वारा किये गये शुद्ध पूँजी निर्माण के अतिरिक्त राज्य की शेष अर्थ-व्यवस्था में शुद्ध पूँजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-2017 के लिये 21220.54 करोड़ रुपये का प्राविधान है। यह सहायता 2015-2016 के लिये 33751.46 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2014-2015 के लिये 14830.83 करोड़ रुपये (वास्तविक) थी। ऐसी सहायता के विभिन्न वर्गों का विवरण नीचे दिया गया है:-

सारणी-4.3

(लाख रुपयों में)

सहायता की मर्दे	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- पूँजी निर्माण के लिये अनुदान (देखिये, लेखा-3, मद-2.1 व 2.2)	239243	339434	485976
2- पूँजी निर्माण के लिये ऋण (देखिये लेखा-4, मद-2.1)	91429	764588	425149
3- निवेश (इन्वेस्टमेंट) (देखिये, लेखा-4, मद-1)	1152411	2271124	1210929
4- शुद्ध पूँजी निर्माण के लिये कुल वित्तीय सहायता (1+2+3)	1483083	3375146	2122054

(ख) (4)- राज्य सरकार के आय-व्ययक सम्बंधी साधनों से शुद्ध पूँजी निर्माण-

4.1.6- पूर्व प्रस्तरों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा अपने आय-व्ययक सम्बंधी साधनों से पूँजी निर्माण के लिये वर्ष 2016-2017 में कुल मिलाकर 76505.83 करोड़ रुपये की व्यवस्था अनुमानित है। यह व्यवस्था 2015-2016 के लिये 81154.34 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2014-2015 के लिये 52808.67 करोड़ रुपये (वास्तविक रकम) थी।

ये राशियां 296869.90 करोड़ रुपये, 283638.98 करोड़ रुपये और 208063.81 करोड़ रुपये के कुल व्ययों की कमशः 25.8 प्रतिशत, 28.6 प्रतिशत तथा 25.4 प्रतिशत हैं। इसकी संरचना नीचे तालिका में दिखाई गयी है:-

सारणी-4.4

(लाख रुपयों में)

शुद्ध पूँजी निर्माण के लिये आय-व्ययक सम्बंधी संसाधन	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- राज्य सरकार द्वारा शुद्ध पूँजी निर्माण (सारणी-4.2, मद-4)	3797784	4740288	5528529
2- शेष अर्थ व्यवस्था में शुद्ध पूँजी निर्माण के लिये वित्तीय सहायता (सारणी-4.3, मद-4)	1483083	3375146	2122054
3-आय-व्ययक सम्बंधी संसाधनों द्वारा शुद्ध पूँजी निर्माण (1 + 2)	5280867	8115434	7650583

(ग) राज्य सरकार की बचत:-

4.1.7- राज्य सरकार द्वारा 2016-2017 में राजकीय शुद्ध लाभ 39465.09 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2015-2016 के पुनरीक्षित अनुमानों में शुद्ध लाभ 26080.16 करोड़ रुपये तथा 2014-2015 में वास्तविक शुद्ध लाभ 21213.31 करोड़ रुपये था जैसा कि निम्न सारणी में दिखाया गया है:-

सारणी-4.5

(लाख रुपयों में)

बचत	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- चालू खाते की बचत (देखिये, लेखा-3, मद-4.1)	2121331	2608016	3946509
2- अवमूल्यन के लिये व्यवस्था (देखिये, लेखा-3, मद-4.2)	0	0	0
3- ग्रहीत लाभ (देखिये लेखा-3, मद-4.3)	0	0	0
4- राज्य सरकार की कुल बचत (1+2+3)	2121331	2608016	3946509
5- नवीकरण तथा प्रतिस्थापन पर व्यय (देखिये, लेखा-3)	0	0	0
6- राज्य सरकार की शुद्ध बचत (4-5)	2121331	2608016	3946509

(घ) चालू प्राप्तियां (करेन्ट रिसीट्स):-

4.1.8- वर्ष 2016-2017 के लिये चालू प्राप्तियां के आय-व्ययक अनुमान 257796.86 करोड़ रुपये हैं। वर्ष 2015-2016 के लिये पुनरीक्षित अनुमान 227101.28 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2014-2015 की वास्तविक प्राप्तियां 175772.58 करोड़ रुपये थीं। इन चालू प्राप्तियों को आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत रखा जा सकता है:-

सारणी-4.6

(लाख रुपयों में)

चालू प्राप्तियां	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1-करों से प्राप्तियां (देखिये, लेखा-1, मद-5)	14071344	18058774	20677633
2- उद्यमों एवं सम्पत्तियों से आय (देखिये, लेखा-1, मद-6)	205320	91131	95155
3- परिवारों से अन्तरण (देखिये, लेखा-1, मद-7)	7467	10219	7052
4- राजस्व अनुदान, अंशदान एवं शेष अर्थ-व्यवस्था से वसूलियां (देखिये, लेखा-1, मद-8)	3293127	4550004	4999846
5- चालू प्राप्तियां (1+2+3+4)	17577258	22710128	25779686

(ड.) चालू खर्च (करेन्ट आउट गोइंग)-

4.1.9- ऊपर दिखाई गई चालू प्राप्तियों के परिणाम की अपेक्षा वर्ष 2016-2017 के लिये आय-व्ययक में कुल 218331.77 करोड़ रुपये के चालू खर्चों की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था 2015-2016 के लिये 201021.12 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) एवं 2014-2015 के

लिये 154559.27 करोड़ रुपये (वास्तविक व्यय) की थी जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट है:-

सारणी-4.7

(लाख रुपयों में)

चालू व्यय	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- खपत सम्बंधी व्यय (देखिये, लेखा-1, मद-1)	5870289	6936178	7849121
2- अन्तरण अदायगियां (देखिये, लेखा-1, मद-2)	9585638	13165934	13984056
3- चालू खर्च (1+2)	15455927	20102112	21833177

(च) (1)- आमदनी में घाटा (इन्कम डिफिसिट)-

4.1.10- शुद्ध बचत की अपेक्षा शुद्ध निवेश की अधिकता राज्य सरकार की आय में घाटे को प्रदर्शित करता है, जिसका विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.8

(लाख रुपयों में)

शुद्ध निवेश एवं बचत	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- राज्य सरकार के शुद्ध पूँजी निर्माण में निवेश (सारणी-4.2, मद-4)	3797784	4740288	5528529
2- राज्य सरकार की शुद्ध बचत (सारणी-4.5, मद-6)	2121331	2608016	3946509
3- राज्य सरकार की आय में घाटा (1-2)	1676453	2132272	1582020

उपर्युक्त घाटा उस अन्तर को प्रकट करता है जो शुद्ध पूँजी अन्तरण के समायोजन पर्यन्त राज्य सरकार को राज्य में लिये जाने वाले वास्तविक ऋणों तथा वाह्य ऋणों से पूरा करना पड़ता है।

(च) (2)- राज्य सरकार की वित्तीय आवश्यकताएं-

4.1.11- उपर्युक्त घाटों में शुद्ध पूँजी अन्तरणों के समायोजन के उपरान्त राज्य सरकार के वित्तीय परिसम्पत्तियों में लेन-देन से उत्पन्न घाटे को जोड़ देने से प्राप्त योग सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करती है। जो लेखा-3 एवं लेखा-4 में दिखाई गई सन्तुलनकारी मदों के योग से भी प्राप्त होता है। वर्ष 2016-2017 के लिये यह घाटा 29367.76 करोड़ रुपये है जो 2015-2016 के पुनरीक्षित अनुमानों से 18595.45 करोड़ रुपये कम तथा 2014-2015 के वास्तविक घाटे से 5918.15 करोड़ रुपये कम है, जैसा कि निम्न सारणी से प्रकट है-

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1-राज्य सरकार की आय में घाटा (देखिये, सारणी-4.8, मद-3)	1676453	2132272	1582020
2-शुद्ध पूँजी अन्तरण (देखिये, लेखा-3, मद-5 (-) मद-2)	644919	518015	484552
3-वस्तुओं और सेवाओं के सभी लेन-देन और अन्तरणों पर घाटा (1-2) (देखिये, लेखा-3, मद-6)	1031534	1614257	1097468
4-वित्तीय पारसम्पत्ति (एसट्स)में शुद्ध वृद्धि (देखिये, लेखा-4, मद-5)	1313427	3182064	1839308
5- घाटा जो कुल वित्तीय आवश्यकता को प्रकट करता है (3+4)	2344961	4796321	2936776

(छ) (1)-वित्त व्यवस्था के स्रोत -

4.1.12- उपरोक्त घाटे को पूरा करने की वित्तीय व्यवस्था नीचे दी सारणी में दिखाई गई है-

सारणी-4.10

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015- 2016	आय-व्ययक अनुमान 2016- 2017
1	2	3	4
1- शुद्ध ऋण (नेट बारोइंग)	2186469	5160666	2975359
1.1- स्थायी ऋण (शुद्ध) (परमार्नेट डेट)	1351263	2943494	3283137
(शुद्ध)	-87460	-73919	-63911
1.3- अनिधिबद्ध ऋण (शुद्ध) (अनफणडेड डेट)	168638	508590	456115
1.4- अन्य ऋण (शुद्ध) (अदर डेट्स)	1173907	3283949	1095445
1.5- अन्य ऋण, निक्षेप एवं विप्रेषण (शुद्ध) (अदर डेट्स, डिपाजिट्स, रेमिटेन्सेज)	-422005	-1501448	-1795427
1.6- अन्तर्राज्यीय उच्चन्त लेखा (शुद्ध)	2126	0	0
2- घाटे की वित्तीय व्यवस्था (डिपाजिट्स फाइनेन्सिंग)	158492	-364345	-38583
2.1- अल्पकालीन ऋण में वृद्धि (शुद्ध) (इनक्रीज इनफलोटिंग डेट)	173196	-173195	0
2.2- रोकड़ बाकी से निकास (विद्वाल)	-14704	-191150	-38583
3- योग (1+2) (इखिये सारणी-4.9, मद-5)	2344961	4796321	2936776

मद-2 के अन्तर्गत दी गई घाटे की वित्तीय व्यवस्था राज्य सरकार से आय-व्ययक सम्बंधी लेन-देन का मुद्रा पूर्ति पर विस्तारक प्रभाव को केवल आंशिक रूप से प्रकट करती है।

(छ) (2)-वित्तीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ-

4.1.13- वर्ष 2016-2017 में सभी विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध लाभ 0.00 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है। 2015-2016 के लिये पुनरीक्षित अनुमान 0.00 करोड़ रुपये आंका गया है। 2014-2015 में वास्तविक लाभ 0.00 करोड़ रुपये था।

इन परिणामों से प्रतिष्ठानों की कार्य-प्रणाली पर वित्तीय परिणामों का पता चलता है। इसकी नाप का कार्य-चलित व्ययों की अपेक्षा कुल प्राप्तियों के अतिरेक द्वारा की जाती है। इनका अन्तरण राजकीय प्रशासन को कर दिया जाता है और उनके बचत में जोड़ दिया जाता है। शुद्ध लाभ की व्युत्पत्ति नीचे दिखाई गई है:-

सारणी-4.11

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- कुल प्राप्तियां (देखिये, लेखा-2, मद-12)	735862	859190	987877
2- कार्य चालक व्यय (आपरेटिंग एक्सपेन्सेज) (देखिये, लेखा-2, मद-1 से 6)	735862	859190	987877
3- शुद्ध लाभ (1-2)	0	0	0

(ज) राज्य आय में अंशदान:-

4.1.14- राज्य सरकार की आय-व्ययक सम्बंधी कार्य वाहियों से 2016-2017 में कुल 97322.12 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान किया गया है। यह आय 2015-2016 में 83407.18 करोड़ रुपये (पुनरीक्षित अनुमान) तथा 2014-2015 के लिये 71621.44 करोड़ रुपये थी। राज्य सरकार द्वारा उत्पादित कुल आय का विवरण नीचे की सारणी में दिया गया है:-

सारणी-4.12

(लाख रुपयों में)

व्यय की मद्दें	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- सरकारी प्रशासन द्वारा दी गई मजदूरी और वेतन	5113059	5812237	6836983
2- विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का शुद्ध उत्पादन	548660	682583	802262
(अ) मजदूरी और वेतन (मरम्मत और अनुरक्षण कार्यों की मजदूरी सम्बंधी 50 प्रतिशत भाग सहित)	505261	616672	736351
(ब) ब्याज	43399	65911	65911
(स) लाभ (प्रशासन को अन्तरित और रखे गये लाभ नवीनीकरण और प्रतिस्थापन की अपेक्षा अवमूल्यन व्यवस्था का अतिरिक्त शामिल है)	0	0	0
3- निर्माण कार्यों पर होने वाले राजकीय परिव्यय का मजदूरी और वेतन सम्बंधी भाग [लेखा-3 की मद-1.1 क (1) व 1.4 क (1)का एक- तिहाई भाग तथा 1.1(ख) (1) व 1.4 (ख) (1) का आधा भाग]	1500425	1845898	2092967
4- योग (1+2+3)	7162144	8340718	9732212

अध्याय-5

लेखाओं पर टिप्पणियां

लेखा-1

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-सरकारी प्रशासन का चालू खाता-

5.1- इस लेखा में राजकीय प्रशासकीय विभागों का चालू राजस्व और व्यय दर्शाये गये हैं। लेखा-2 के अन्तर्गत सम्मिलित विभागों के अतिरिक्त अन्य सभी विभाग आर्थिक वर्गीकरण हेतु प्रशासकीय माने गये हैं। प्रशासकीय विभागों के चालू व्यय को राजकीय चालू खाते में अन्तिम परिव्यय के रूप में दर्शाया गया है जो कि राजकीय चालू खपत को व्यक्त करता है। प्रशासन के चालू व्यय में (1) अन्तिम परिव्यय और (2) अन्तरण अदायगियां (ट्रांस्फर पेमेन्ट) सम्मिलित हैं। अन्तरण अदायगियों द्वारा सरकार शेष अर्थ-व्यवस्था की निस्तारण योग्य आय “डिसपोजिविल इनकम” को अप्रत्यक्ष रूप से बृद्धि करती है। इन सम्पूर्ण व्ययों की पूर्ति करने के लिये विभिन्न करों, प्रकीर्ण प्राप्तियों, ऋणों, अनुदानों और केन्द्रीय सरकार से वसूलियों इत्यादि से होने वाले सामुदायिक आय के एक भाग के अतिरिक्त विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभों का सरकार विनियोग करती है। खपत सम्बंधी व्यय और चालू अन्तरण को पूरा करने के उपरान्त राजस्व का अधिशेष पूँजी निर्माण के लिये प्राप्त होने वाली सरकारी प्रशासन की बचत का द्योतक है।

मद 1.1 (क)- “मजदूरी और वेतन” में कार्मिकों के वेतन, अधिष्ठान का वेतन, उनके भत्ते (यात्रा एवं दैनिक भत्तों के अतिरिक्त) व मानदेय सम्मिलित हैं। भत्तों और मानदेयों में महंगाई भत्ता, मानदेय, प्रतिकर भत्ता, मकान किराया सम्बंधी भत्ता, सवारी भत्ता और वर्दी भत्ता भी शामिल है। जहां यात्रा और अन्य भत्ते एकमुश्त दिये गये हैं वहां उनको दो सम्भागों में विभाजित कर दिया गया है। पूँजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को मजदूरी और वेतन तथा पेशन को निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

मद 1.1 (ख)- “पेशन” के अन्तर्गत अधिवर्ष तथा सेवानिवृत्ति भत्ते, अनुकम्पा भत्ते तथा पारिवारिक पेशन तथा पेशनों की राशि मूल्य आदि सम्मिलित है।

मद 1.2- “वस्तुओं और सेवाओं” में राजकीय प्रशासन द्वारा वस्तुओं और सेवाओं जैसे-लेखन-सामग्री और मुद्रण व्यय, टेलीफोन सम्बंधी व्यय, विद्युत एवं जल सम्बंधी व्यय, वर्दी सम्बंधी व्यय, यात्रा व्यय, यात्रा एवं दैनिक भत्ते, मनोरंजन सम्बंधी व्यय, चिकित्सा एवं आहार सम्बंधी व्यय, पुस्तकें एवं सामयिक पत्रिकायें, अन्य सरकारों को दिया गया अधिष्ठान सम्बंधी व्यय, कच्चा माल और वाहनों का परिचलन व्यय सम्बंधी क्रय, मरम्मत और अनुरक्षण सम्बंधी व्यय, प्रासंगिक व्यय, शीर्षक के अन्तर्गत आकस्मिक श्रमिकों को मजदूरियों की अदायगी सम्मिलित है। राजकीय मुद्रणालय की हानियों का अभ्यारोपित मूल्य प्रशासन की खपत सम्बंधी व्यय मानकर इस मद में शामिल कर लिया है। निर्माणगत परियोजनाओं पर किया गया “वस्तुओं और सेवाओं” का अंश निर्माण की लागत मानकर लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय से प्राप्तियों को व्यय में से घटा दिया गया है।

मद 2- “अन्तरण अदायगियां”-आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार के व्यय तीन प्रकार के होते हैं-

1-खपत सम्बंधी व्यय, 2-पूँजीगत व्यय, 3-शेष अर्थ-व्यवस्था में अन्तरण (वर्गीकरण के पूँजीगत खाते में कुछ अन्तरण पूँजी निर्माण का स्वरूप लेते हैं। इस लिये आर्थिक वर्गीकरण के अन्तर्गत

चालू अन्तरण को पूंजीगत अन्तरण से भिन्न माना गया है) चालू अन्तरण को निम्न भागों में बांटा गया है- ब्याज का भुगतान, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, शिक्षा संस्थाओं तथा अन्य संस्थाओं को अनुदान, राज सहायता एवं व्यक्तिगत रूप से अन्य चालू अन्तरण जो प्राप्तकर्ता की व्यक्तिगत आय बढ़ाते हैं। कभी-कभी सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज का भुगतान सरकार के चालू राजस्व से घटा दिया जाता है परन्तु वहां पर भुगतान घटाये नहीं गये हैं।

मद 2.1- “ब्याज” सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज तथा लेखा-2 मद-5 में दिखलाये गये वाणिज्यिक ऋण पर ब्याज के अतिरिक्त अन्य ब्याज के अन्तर्गत भुगतान आते हैं। रोकड़ शोष के विनियोजन पर ब्याज कुल ब्याज से घटा दिया गया है क्योंकि यह अन्तर विभागीय अथवा अन्तर खाते में अन्तरण है जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है।

मद 2.2- “अनुदान” को चार वर्गों में विभक्त किया गया है यथा- (1) स्थानीय निकायों को, (2) सरकारी संस्थाओं को, (3) शिक्षा संस्थाओं को तथा (4) अन्य संस्थाओं को “अन्य संस्थाओं” के अन्तर्गत उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं को तथा अलाभकारी संस्थाओं को दिये गये अनुदान आते हैं।

मद 2.3- “राज सहायता”- चालू खाते पर सभी अनुदानों को सम्मिलित करता है जो निजी उद्योग, सरकार से प्राप्त करते हैं उनका रूप या तो उत्पादकों को सीधे भुगतान के रूप में होता है या सरकारी वाणिज्यिक उपकरणों या क्रय और विक्रय के मूल्य में अन्तर के रूप में होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज सहायता उन अनुदानों को सम्मिलित करता है जो सरकार द्वारा सार्वजनिक निगमों को हानियों के क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। सार्वजनिक निगमों के समस्त चालू अन्तरण चाहे वे मूल्य स्तर को बनाये रखने अथवा अन्य उद्देश्यों के लिये हों—“राज सहायता” के अन्तर्गत आते हैं। विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में उन हानियों को जिनकी राज सहायता से पूर्ति नहीं हो सकती है उनको सामान्य राजकीय खाते में ऋणात्मक घाटे के रूप में अन्तरित किया जाता है। वानिकी, उद्योग, सिंचाई तथा दुर्गंध सम्पूर्ति के विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा उठाई गई हानियों को राज सहायता माना गया है।

मद 2.4- “अन्य चालू अन्तरण”- इस मद में परिवारों के खाते में किये गये भुगतान चालू अन्तरण के अन्तर्गत आते हैं जैसे- विशिष्ट तथा प्रशासनीय सेवाओं हेतु पेंशन, राजनैतिक तथा प्रादेशिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक भत्ते, छात्रवृत्तियाँ; अकाल पीड़ित व्यक्तियों को निशुल्क सहायता, पुरस्कार आदि आते हैं।

मद 3- “चालू खाते की बचत”- चालू खाते के अन्तर्गत व्यय की अपेक्षा प्राप्तियों का अधिशेष (सरप्लस) है।

मद 5- “कर राजस्व”- को दो भागों- (1) “प्रत्यक्ष कर” व (2) “अप्रत्यक्ष कर” में वर्गीकृत किया गया। “प्रत्यक्ष कर” में केन्द्रीय करों में निगम करों के अतिरिक्त राज्य का भाग कृषि सम्पत्ति पर कर, भू राजस्व तथा नगरीय भूमिकर सम्मिलित है। “अप्रत्यक्ष कर” में उत्पादकों पर उनके द्वारा किये गये उत्पादन पर लगाया गया कर, क्रय-विक्रय अथवा वस्तुओं सेवाओं का उपभोग जो कि उत्पादन के खर्च में सम्मिलित होते हैं, अप्रत्यक्ष कर के अन्तर्गत आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के सामान्य उदाहरण निम्न हैं- आयात, निर्यात् व उत्पादन शुल्क, बिक्री कर, मनोरंजन कर, बाजीकर (वेटिंग टैक्सेज), व्यवसाय लाइसेन्स तथा लेन-देन (स्टाम्प) कर तथा भू-सम्पत्ति एवं भूमिकर।

मद 6-“सम्पत्ति और उद्यमों से आय”-इस मद में प्रशासन को अन्तरित विभागीय वाणिज्यिक उपकरणों से लाभ तथा भवनों अथवा अन्य सम्पत्तियों से प्राप्तियां, ब्याज तथा लाभांश से प्राप्त धनराशि सम्मिलित है।

मद 7-“परिवारों से अन्तरण” इस मद के अन्तर्गत वे भुगतान जो परिवारों और निजी अलाभकारी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार को नियंत्रित तथा सामाजिक सेवाओं के व्यय हेतु मुख्यतः सरकारी एजेन्सीज के द्वारा लिया जाता है, सरकारी एजेन्सी द्वारा नियन्त्रित व्यय नियन्त्रित कार्यों और उन सेवाओं हेतु जिनके लिये कोई और प्राइवेट क्षेत्र समतुल्य उपलब्ध नहीं है, के सम्बंध में हैं। ऐसी सेवायें अधिकांश रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। क्योंकि यह अनिवार्य अधिकार के प्रयोग पर निर्भर करता है। परिवारों द्वारा इस प्रकार व्ययों के उदाहरण जन्म-मृत्यु, विवाह के लिये पंजीकरण फीस, कोर्ट फीस, जुमनि और दण्ड आदि हैं। जो राज्य सरकार के बजट के विभिन्न राजस्व शीर्षकों के अन्तर्गत दिखलाये गये हैं।

मद 8-“राजस्व अनुदान, अंशदान एवं वसूलियां”-इस मद के अन्तर्गत चालू अन्तरण से प्राप्तियों जो कि संघीय सरकार तथा अन्य संस्थाओं से संगत होती है, सम्मिलित की जाती है। अन्तरण जो उत्पादन अथवा खपत की आर्थिक रूप से घोषित करने हेतु उपयोग किये जाते हैं, उनको चालू अन्तरण में वर्गीकृत किया गया है।

लेखा-2

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का चालू खाता

5.2- यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन एवं अन्तरण को प्रकट करता है। प्रतिष्ठान मुख्यतः विक्रय हेतु वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में लगे हुये हैं। वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा सामान इत्यादि का क्रय अन्तर्वर्ती व्यय (जैसे कच्चा माल एवं ईधन सम्बंधी मूल्य इत्यादि) और ये प्रशासकीय विभागों द्वारा किये गये अन्तिम परिव्यय से बिल्कुल भिन्न हैं। यह लेखा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लाभ और हानि के विवरण को प्रकट करता है। इनमें सन्तुलनकारी मद अधिशेष है जिससे लेखा-1 प्राप्ति पक्ष को अग्रनीत किया जाता है।

आर्थिक वर्गीकरण के उद्देश्यों से निम्नलिखित को विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान माना गया है:-

- (1) वन,
- (2) सिंचाई,
- (3) मुद्रणालय,
- (4) उद्योग-
 - (क)- सूक्ष्म उपयन्त्र निर्माण शाला, लखनऊ।
 - (ख)- अन्य
- (5) दुग्ध सम्पूर्ति

इन विभागों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के व्यय को वेतन एवं मजदूरी, पेशन, वस्तुओं और सेवाओं, किराया, मरम्मत और अनुरक्षण, ब्याज, अवमूल्यन के लिये व्यवस्था तथा ग्रहीत लाभ में वर्गीकृत किया गया है। शेष जो इन प्रतिष्ठानों का लाभ है राजकीय प्रशासन को वित्तीय प्रबन्ध हेतु अन्तरित कर दिया जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन प्रतिष्ठानों के लेन-देन के सभी पहलुओं का परावर्तन प्रस्तुत लेखाओं में नहीं होता। आय-व्ययक के लेखा पालन का रूप वित्तीय

वर्ष की अवधि में मुख्यतः वास्तविक रोकड़ प्राप्तियाँ तथा संवितरण प्रदर्शित करता है और भण्डारण स्थिति पर प्रकाश नहीं डालता। इसके अतिरिक्त इसमें अर्जित और देय धनराशियों का भी संकेत नहीं रहता है। इस प्रकार रोकड़ाधार पट्टि (कैश बेसिस सिस्टम) राजकीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को समस्त चित्रण करने में पूर्णतः समर्थ नहीं है। इसलिये इसका वास्तविक परावर्तन आय-व्ययक में तथा इसके फलस्वरूप आर्थिक वर्गीकरण में नहीं हो पाता।

लेखा-3

वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन और अन्तरण-सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.3- यह लेखा शेष अर्थ-व्यवस्था में निजी निर्माण सहित सरकारी प्रशासन तथा विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुगत परिस्मृतियों (फिजिकल ऐसेट्स) के निर्माण को व्यक्त करने वाले कुल पूंजी परिव्यय से सम्बंधित है। पूंजी निर्माण पर सम्पूर्ण परिव्यय राष्ट्रीय उत्पाद पर एकभार है जिसको बहन करने के लिये सरकार को साधनों की खोज अपनी बचत अथवा निजी बचतों से आहरण द्वारा करनी पड़ती है इनमें सन्तुलनकारी मद घाटा प्रकट करती है जिसको ऋण लेकर अथवा रोकड़ बाकी के उत्साह से पूरा करना होता है।

मद-1- “सकल पूंजी निर्माण”-सरकारी प्रशासन तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के अन्तर्गत दो भागों में विभक्त किया गया है-

- (1) भवन तथा अन्य निर्माण कार्य
 - (2) मरीन एवं उपकरण
- प्रत्येक विभाग को निम्न उपवर्गों में वर्गीकृत किया गया-
- (क) नया परिव्यय
 - (ख) नवीकरण एवं प्रतिस्थापन

मद 1.1 (क) व 1.4 (क)- इन मदों में भवन निर्माण कार्यों, आवास कार्यालयों तथा अन्य प्रयोजनों के लिये भवनों के मूल निर्माण-कार्य दिखलाये गये हैं।

मद 1.1 (ख) व 1.4 (ख)- इन मदों के अन्तर्गत परिवहन एवं दूर संचार, विद्युत शक्ति एवं सिंचाई, बांध एवं जल निकास, जल पूर्ति एवं सफाई, भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण तथा अन्य निर्माण कार्यों पर सम्पूर्ण व्यय सम्मिलित है।

पूंजी निर्माणगत परियोजनाओं में कार्यरत् कर्मचारियों को प्रदत्त मजदूरी और वेतन एवं इस प्रकार की परियोजनाओं के सम्बंध में वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया व्यय निर्माण की लागत का ही अंशमान कर तदनुसार लेखा-3 के अन्तर्गत दिखाया गया है। व्यय भवन अथवा अन्य निर्माण-कार्यों के अनुपात में बांट दिये गये हैं।

मद 1.2 व 1.5- “मरीने और उपकरणों” मरीनों और उपकरण, उपस्कर एवं निरोप (फर्नीचर एण्ड फिक्सचर) व साधित्र (आपरेट्स) औजार एवं संयत्र (टूल्स एवं प्लान्ट्स) और वाहन समाविष्ट है।

मद 1.3 व 1.6-“तालिकागत समान में वृद्धि (इनकोज इन इन्वेन्ट्रीज)- (1) निर्माण सम्बंधी सामान और (2) अन्न उर्वरको इत्यादि भण्डार को शुद्ध वृद्धि अथवा ह्रास दिखाया गया है।

मद-2- पूंजी अन्तरण में स्थानीय निकायों तथा औरों की पूंजी निर्माण के लिये अनुदान उदाहरणार्थ पुनः ग्रहीत भूमि (रिज्यूम्ड लैण्ड्स) के बदले में पेशन, वकफी तथा न्यासी (द्रस्ट) की देय वार्षिक वृत्तियाँ, अधिकतम् जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अधीन प्रतिकर इत्यादि सम्मिलित है।

मद-4 व 5-“पूंजी निर्माण” हेतु उपलब्ध प्राप्तियों में लेखा 1 व 2 से अग्रनीत चालू खातेदार पर कुल बचत, सम्पदा शुल्क, जायदादों की बिक्री तथा केन्द्रीय सरकार से पूंजीगत अनुदान एवं वसूलियां सम्मिलित है। सम्पदा शुल्क को इस धारणा पर कि यह पूंजी देय है, इस सेवा में शामिल किया गया है।

लेखा-4

वित्तीय परिसम्पत्तियों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.4- यह लेखा राजकीय वित्तीय परिसम्पत्तियों में वास्तविक परिवर्तन प्रकट करता है। इसमें औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में वित्तीय निवेशों का लेन-देन (अर्थात् शेयरों में लगाई पूंजी) और शेष अर्थ-व्यवस्था के लिये स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम घनराशि सम्मिलित है। पूंजी निर्माण के लिये ऋण राज्य सरकार द्वारा शेष अर्थ-व्यवस्था में पूंजी निर्माण की प्रोन्नत के लिये प्रयासों का द्योतक है। खाते में सन्तुलनकारी मद घाटा है जिसकी लेखा-3 के घाटे में जोड़ने से सरकार की कुल वित्तीय आवश्यकता ज्ञात होती है। इसकी पूर्ति ऋण लेकर अथवा राजकीय रोकड़ वाकी में समायोजन द्वारा होती है।

मद-1- “निवेशों में” राजकीय तथा निजी वाणिज्यिक उपकरणों और वस्तुगत एवं परिसम्पत्तियों में लगाई गई धनराशि आती है।

मद-2.1- “पूंजी निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम” से पूंजीगत परिसम्पत्तियों जैसे सिंचाई सुविधाओं का निर्माण, औद्योगिक गृह निर्माण योजनाओं, जलकलों इत्यादि के लिये ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

मद-2.2- “अन्य प्रयोजनों हेतु ऋणों” में चालू खपत के लिये कृषक को ऋण, मकानों की मरम्मत के लिये ऋण, छात्रों को ऋण, सवारियों के क्रय हेतु अग्रिम तथा ऋण सम्मिलित है।

लेखा-5

वित्तीय दायित्वों में परिवर्तन

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पूंजी खाता

5.5- यह लेखा राजकीय दायित्वों को चित्रित करता है। आमदनी द्वारा वित्तीय दायित्वों में वृद्धि तथा खर्च से दायित्वों में कमी का ज्ञान होता है। खर्च के ऊपर आमदनी का अतिरेक, वित्तीय दायित्वों में शुद्ध वृद्धि को प्रदर्शित करता है। यह वृद्धि भौतिक तथा वित्तीय परिसम्पत्तियों के अर्जन हेतु अतिरिक्त व्यय के कारण होती है। लेखा-3 व 4 से उत्पन्न घाटे की वित्तीय व्यवस्था सरकार द्वारा ओढ़े गये दायित्वों में परिवर्तन करने तथा रोकड़वाकी यदि कोई हो, के उपयोग से भी की जाती है।

इन घाटों की पूर्ति विभिन्न विभागीय निधियों (फण्ड्स) एवं निवेशों (डिपाजिट्स) से तथा शेष अर्थ-व्यवस्था से खींच कर की जाती है।

इस लेखा में स्थायी ऋणों, केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अन्य ऋणों के कुल रूप में अल्प कालिक ऋण (फ्लॉटिंग डेट्स) अनिधिबद्ध ऋण (अनफण्डेड डेट्स) ऋणों और विप्रेषित राशियों (रमीटेन्सेज) को शुद्ध रूप में दिखाया जाता है।

लेखा-6

सरकारी प्रशासन और विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का रोकड़ एवं पूंजी समाधान खाता

5.6- यह लेखा राज्य सरकार के सभी लेन-देन का उनके रोकड़ स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रकट करते हुये लेखा-3, 4 व 5 के सम्बंध में वस्तुस्थिति का संक्षेपण करता है। लेखा-3 वस्तुओं और सेवाओं तथा अन्तरणों के सभी वास्तविक लेन-देन के सम्बंध में यथार्थ स्थिति बताता है तो लेखा-4 व 5 क्रमशः वित्तीय परिस्पर्तियों एवं वित्तीय दायित्वों के सम्बंध में वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं।

भाग-2

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

अध्याय-6

(I) आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

6.1- इस अध्याय में आर्थिक दृष्टिकोण एवं कार्य के आधार पर राज्य सरकार के व्ययों को दो विभिन्न वर्गीकरणों का एक ही अन्तः: वर्गीकरण आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी में संयुक्त कर प्रस्तुत किया गया है। यह संयुक्त वर्गीकरण बताता है कि किस प्रकार किसी विशेष प्रयोजन-जैसे- कृषि के लिये व्ययों को आर्थिक वर्गों अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय, पूँजी निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के अन्तरणों और ऋणों में विभाजित किया जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी प्रकार किसी विशेष आर्थिक वर्ग जैसे- पूँजी निर्माण के लिये व्यय को विभिन्न प्रयोजनों अथवा सरकार द्वारा व्यवस्थित सेवाओं के अनुसार वितरित किया गया है। राजकीय आय-व्ययक सम्बंधी व्ययों का ऐसा अन्तः: वर्गीकरण कई वर्षों की अवधि के कार्यक्रम को चिह्नित करने तथा वास्तविक व्यय की प्रगति का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अर्थ-व्यवस्था के सम्पूर्ण राजकीय खण्ड पर लागू करने से आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण की सूचनात्मक उपयोगिता पर्याप्त रूप से बढ़ जाती है।

(II) कार्य सम्बंधी वर्गीकरण के सिद्धान्त

6.2- लेखा पालन के उद्देश्य से धनराशि को खर्च करते समय व्यय के तात्कालिक मद जैसे- मजदूरी और वेतन, वस्तुएं और सेवाएं, अन्य निकायों को अनुदान, ऋण इत्यादि के अनुसार व्यय को नियत किया जाता है। आर्थिक वर्गीकरण में व्यय के इन प्राथमिक मदों को उसकी आर्थिक आकृति के अनुसार वर्गीकृत करता है। इसी प्रकार कार्य के आधार पर वर्गीकरण इन मदों द्वारा प्रतिपादित विशेष उद्देश्य के अनुसार उसका गठन करता है। कार्य सम्बंधी वर्गीकरण का व्यय तात्कालिक अथवा अल्पकालिक उद्देश्यों से की गई सेवाओं के अनुसार राजकीय व्यय को प्रकट करता है जो विशेष प्रकार की सेवाओं पर किये गये सार्वजनिक व्यय के सम्बंध में जानकारी कराता है।

6.3- कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (कामरिंशिल अण्डरटेकिंग्स) के चालू व्यय सम्मिलित नहीं किये गये हैं क्योंकि इनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय अधिकांश राजकीय खण्ड (गवर्नमेंट सेक्टर) से बाहर किया जाता है। इन प्रतिष्ठानों में वस्तुओं और सेवाओं पर चालू व्यय एक अन्तर्वर्ती व्यय (इंटरमीडिएट एक्सप्रेण्डीचर) है जो उत्पादक व्यय का द्योतक है न कि सरकार द्वारा व्यवस्थित अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं पर किये गये व्यय का है। कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में सामान्यतः प्राप्तियां सम्मिलित नहीं हैं, केवल वे प्राप्तियां ही सम्मिलित हैं जो किसी वस्तु और सेवाओं पर व्यय को उस सीमा तक कम कर देती हैं। इनके उदाहरण हैं- विक्रय से प्राप्तियां अथवा इसी प्रकार की वसूलियां, अन्य सभी प्राप्तियां जिनमें कर तथा ऋण सम्मिलित हैं, सामान्य संहत निधि के अंश समझे जाते हैं और उनमें से सभी प्रकार के व्यय की व्यवस्था की जाती है।

6.4- आय-व्ययक में दिये गये वर्गीकरण का पूर्णतया अनुसरण न करते हुये व्यय की सम्पूर्ण मदों को कार्य के आधार पर व्यापक वर्गों में वर्गित किया गया है। इस प्रकार कार्य सम्बंधी वर्गीकरण में शिक्षा पर सभी व्ययों को शिक्षा उप शीर्षक के अन्तर्गत ही रखा गया है। आय-व्ययक में यह चाहे कही भी दिखाया गया हो। इस सिद्धान्त का अपवाद वे शिक्षा सम्बंधी कार्य-कलाप, जो सरकार की अन्य सेवाओं के अभिन्न अंग है, जैसे “पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय” पुलिस शीर्षक में तथा “बाल सुधार विद्यालय” कारगार शीर्षक के अन्तर्गत रखे गये हैं। पुनः आय-व्ययक के कुछ शीर्षक जैसे- सामुदायिक विकास, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, प्रकीर्ण सेवायें, सामान्य सेवायें प्रकीर्ण सामाजिक तथा विकास सम्बंधी संगठन, सार्वजनिक निर्माण कार्य, ऋण इत्यादि के अन्तर्गत व्ययों को विभाजित करके कार्य के आधार पर वर्गीकरण के उचित शीर्षक के अन्तर्गत स्थानान्तरित कर दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान में सम्बंधित व्ययों का सम्बंधित कार्य भार शीर्षकों में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किये गये कार्यों पर व्यय के अनुपात में विभाजित कर दिया गया है।

6.5- उपरोक्त दृष्टिकोण से व्यय की विभिन्न मदों को कार्य के आधार पर मुख्यतः निम्न नौ भागों में बांटा गया है-

- (1) सामान्य सेवायें
- (2) सुरक्षा
- (3) शिक्षा
- (4) स्वास्थ्य
- (5) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें
- (6) आवास एवं सामुदायिक सेवायें
- (7) सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें
- (8) आर्थिक सेवायें
- (9) अन्य सेवायें

इन सेवाओं की विषय-वस्तु का उल्लेख अध्याय-7 में किया गया है।

(III) सारणी

6.6- सारणी 6.1, 6.2 तथा 6.3 में उत्तर प्रदेश के क्रमशः वर्ष 2014-2015(वास्तविक), 2015-2016 (पुनरीक्षित) तथा 2016-2017 (आय-व्ययक) के लिये व्यय का आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। इन सारणियों में व्यय की आर्थिक एवं कार्य दोनों दृष्टिकोण के साथ-साथ वर्गीकृत किया गया है। कार्य वर्गीकरण के मुख्य नौ भाग हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। आर्थिक वर्गीकरण के व्यापक वर्ग चालू व्यय तथा पूँजीगत व्यय है। कुल व्यय में वित्तीय परिसम्पत्ति में लगाई गई पूँजी तथा सार्वजनिक ऋण की अदायगी भी शामिल है, दूसरा तरीका यह हो सकता था कि कुल व्यय में सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों को शामिल न किया जाता और वित्तीय निवेशों को शुद्ध रूप में प्रकट किया जाता। क्योंकि हमें सार्वजनिक ऋणों की अदायगियों के साथ-साथ दिये गये ऋण के परिणाम जानने की आवश्यकता रहती है इस लिये इन मदों को कुल व्यय में सम्मिलित कर लिया गया है।

6.7- सारणी 6.4 व 6.6 में क्रमशः आर्थिक वर्गों तथा कार्य सम्बंधी वर्गों के कुल व्यय के वितरण तथा 6.5 व 6.7 में क्रमशः उनके प्रतिशत वितरण की स्थिति प्रस्तुत की गई है। सारणी 6.8 में विकासगत तथा अविकासगत व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

6.8- आगे के पृष्ठों पर सारणी दी गई है।

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की विक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर व्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवाएं	3024376	57724	2966652	0	5078	237006	1093057	4301793
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	3022179	57670	2964509	0	5078	234184	1093057	4296828
1.1.1- सामान्य प्रशासन	368781	7889	360892	0	7	1825	0	362724
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	278395	9322	269073	0	0	3518	0	272591
1.1.3- न्याय	206934	929	206005	0	0	0	0	206005
1.1.4- कारागार	68725	188	68537	0	0	1	0	68538
1.1.5- पुलिस	1639599	12420	1627179	0	0	723	0	1627902
1.1.6- अन्य सामान्य सेवाएं	459745	26922	432823	0	5071	228117	1093057	1759068
1.2- सामान्य शोध	2197	54	2143	0	0	2822	0	4965
2- सुरक्षा	4431	461	3970	0	0	2492	0	6462
3- शिक्षा	312479	583373	-270894	0	0	3379512	0	3108618
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	73497	0	73497	0	0	14359	0	87856
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधाएं	238982	583373	-344391	0	0	3365153	0	3020762
4- स्वास्थ्य	1222538	11903	1210635	0	0	11557	0	1222192
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	24672	0	24672	0	0	119	0	24791
4.2- अस्पतालों, दबाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाएं	1197866	11903	1185963	0	0	11438	0	1197401
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाएं	859231	16346	842885	0	3871	670297	0	1517053
5.1- समाज कल्याण सेवाएं	778985	16346	762639	0	3871	358287	0	1124797
5.2- समाज सुरक्षा सेवाएं	80246	0	80246	0	0	312010	0	392256
6- आवास एवं सामुदायिक सेवाएं	183398	8548	174850	0	19592	19949	49485	263876
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाएं	25592	1185	24407	0	0	6268	0	30675

पूँजीगत व्यय

कुल सिवर पूँजी निर्माण		पूँजी अन्वरण		पूँजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	ऋण और अधिग्रह		सार्वजनिक ऋणों की अदायगिता	कुल पूँजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)	
		स्टाकों में शुद्ध बृद्धि	स्थानीय निकायों को		पूँजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को					
भवन एवं अन्य निर्माण-कार्य	मरीने एवं उपकरण	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
108502	43864	-3609	66799	1000	0	0	50	0	216606	4518399		
104658	43851	-3609	66799	0	0	0	50	0	211749	4508577		
23635	5015	-3609	0	0	0	0	0	0	25041	387765		
4098	595	0	0	0	0	0	0	0	4693	277284		
-15	3282	0	0	0	0	0	50	0	3317	209322		
19215	1625	0	0	0	0	0	0	0	20840	89378		
62980	31920	0	0	0	0	0	0	0	94900	1722802		
-5255	1414	0	66799	0	0	0	0	0	62958	1822026		
3844	13	0	0	1000	0	0	0	0	4857	9822		
179	54	0	0	0	0		0	0	233	6695		
185483	36332	0	0	10146	0	0	0	0	231961	3340579		
792	135	0	0	7445	0		0	0	8372	96228		
184691	36197	0	0	2701	0	0	0	0	223589	3244351		
77338	6380	0	0	0	0	0	237	0	83955	1306147		
269	121	0	0	0	0	0	0	0	390	25181		
77069	6259	0	0	0	0	0	237	0	83565	1280966		
84175	5982	0	0	0	25	0	0	0	90182	1607235		
45804	777	0	0	0	25	0	0	0	46606	1171403		
38371	5205	0	0	0	0	0	0	0	43576	435832		
916876	2283	0	63239	96579	5000	54387	37835	0	1176199	1440075		
47169	285	0	0	200	1373	0	0	0	49027	79702		

आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की विक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवाएँ	935110	18228	916882	0	1375645	915616	0	3208143
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	76540	5866	70674	0	13612	56263	0	140549
8.2- कृषि, बन, सिंचाई, मर्स्य एवं शिकार	373249	4910	368339	0	796506	36314	0	1201159
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	39260	6048	33212	0	14123	53987	0	101322
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	12	0	12	0	530586	694544	0	1225142
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	417382	833	416549	0	0	597	0	417146
8.7- अन्य आर्थिक सेवाएँ	28667	571	28096	0	20818	73911	0	122825
9- अन्य सेवाएँ	902	0	902	1796141	0	70	0	1797113
9.1- विपदा सहायता	822		822	0	0	70	0	892
9.2- अन्य विविध कार्य	80		80	1796141	0	0	0	1796221
योग	6568057	697768	5870289	1796141	1404186	5242767	1142542	15455925

- 6.1

2014-2015 (वास्तविक व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूँजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूँजी निधि			पूँजी अन्तरण			ऋण और अधिगम				कुल पूँजीगत व्यय (10 से 18)
भवन एवं अन्य मरीने एवं उपकरण	स्टाको में शुद्ध वृद्धि		स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		पूँजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1995734	26998	262346	0	1280	1146013	5128	89627	0	3527126	6735269
38	307	0	0	0	0	0	191	0	536	141085
287017	6290	228432	0	1280	0	0	5100	0	528119	1729278
18326	7517	0	0	0	0	0	81575	0	107418	208740
213795	1	0	0	0	1086543	0	0	0	1300339	2525481
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1476550	10489	-2780	0	0	15139	5128	0	0	1504526	1921672
8	2394	36694	0	0	44331	0	2761	0	86188	209013
1407	6	0	0	0	0	0	0	941122	942535	2739648
1407	1	0	0	0	0	0	0	0	1408	2300
0	5	0	0	0	0	0	0	941122	941127	2737348
3416863	122184	258737	130038	109205	1152411	59515	127749	941122	6317824	21773749

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की विक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर व्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवाये	3404514	48079	3356435	0	8	513824	1018134	4888401
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	3402197	48065	3354132	0	8	509822	1018134	4882096
1.1.1- सामान्य प्रशासन	416636	12355	404281	0	8	4536	0	408825
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	296234	10365	285869	0	0	3921		289790
1.1.3- न्याय	247982	1027	246955	0	0	0	0	246955
1.1.4- कारगार	84892	7024	77868	0	0	1	0	77869
1.1.5- पुलिस	1775184	13662	1761522	0	0	594	0	1762116
1.1.6- अन्य सामान्य सेवाये	581269	3632	577637	0	0	500770	1018134	2096541
1.2- सामान्य शोध	2317	14	2303	0	0	4002	0	6305
2- सुरक्षा	2019	102	1917	0	0	2644	0	4561
3- शिक्षा	495639	860748	-365109	0	0	4515206	0	4150097
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	89746	0	89746	0	0	48071	0	137817
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी मुविधाये	405893	860748	-454855	0	0	4467135	0	4012280
4- स्वास्थ्य	1556022	3830	1552192	0	0	18306	0	1570498
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	41298	0	41298	0	0	52	0	41350
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्याकितगत स्वास्थ्य सेवाये	1514724	3830	1510894	0	0	18254	0	1529148
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाये	940578	8342	932236	0	1161	1240743	0	2174140
5.1- समाज कल्याण सेवाये	874058	8342	865716	0	1161	1222432	0	2089309
5.2- समाज सुरक्षा सेवाये	66520	0	66520	0	0	18311	0	84831
6- आवास एवं सामुदायिक सेवाये	207746	3000	204746	0	26177	34939	131415	397277
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाये	29510	22	29488	0	0	10170	0	39658

- 6.2
2015-2016 (पुनरीक्षित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूँजीगत व्यय										
कुल सिवर पूँजी निर्भाण			पूँजी अन्तरण			ऋण और अग्रिम				कुल पूँजीगत व्यय (9+19)
भवन एवं अन्य निर्माण- कार्य	मशीने एवं उपकरण		स्टाको में शुद्ध वृद्धि निकायों को	स्थानीय निकायों को		पूँजी शेयरों में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
203112	100650	0	42119	432	2500	0	0	0	348813	5237214
195140	100633	0	42119	32	2500	0	0	0	340424	5222520
54820	5442	0	0	0	0	0	0	0	60262	469087
6153	2542	0	0	0	0	0	0	0	8695	298485
0	8375	0	0	0	0	0	0	0	8375	255330
44786	9497	0	0	0	0	0	0	0	54283	132152
94381	71970	0	0	0	2500	0	0	0	168851	1930967
-5000	2807	0	42119	32	0	0	0	0	39958	2136499
7972	17	0	0	400	0	0	0	0	8389	14694
0	309	0	0	13	0	0	0	0	322	4883
352949	28483	0	0	22878	0	0	0	0	404310	4554407
38548	377	0	0	20000	0	0	0	0	58925	196742
314401	28106	0	0	2878	0	0	0	0	345385	4357665
290870	20036	0	0	0	0	0	10100	0	321006	1891504
950	801	0	0	0	0	0	0	0	1751	43101
289920	19235	0	0	0	0	0	10100	0	319255	1848403
177370	6181	0	0	526	1060	0	0	0	185137	2359277
123690	2208	0	0	526	1060	0	0	0	127484	2216793
53680	3973	0	0	0	0	0	0	0	57653	142484
730408	8636	0	187657	72017	0	25000	29644	0	1053362	1450639
149149	688	0	0	1017	45000	0	0	0	195854	235512

सारणी
आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की विक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर व्याज	गज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवाएँ	1126397	24259	1102138	0	1530187	2063726	0	4696051
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	58290	7874	50416	0	5120	18574	0	74110
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मरम्य एवं शिकार	424149	8780	415369	0	1443707	1753692	0	3612768
8.3- खनिंव, ड्यूग एवं निर्भाग	53813	6037	47776	0	36496	270015	0	354287
8.4- विद्युत, गैस, ज्वाल एवं पानी	205	50	155	0	19111	11907	0	31173
8.5- पर्याणाविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	557541	501	557040	0	0	8627	0	565667
8.7- अन्य आर्थिक सेवाएँ	32399	1017	31382	0	25753	911	0	58046
9- अन्य सेवाएँ	122135	0	122135	2058744	0	550	0	2181429
9.1- विपदा सहायता	122051	0	122051	0	0	550	0	122601
9.2- अन्य विविध कार्य	84	0	84	2058744	0	0	0	2058828
योग	7884560	948382	6936178	2058744	1557533	8400108	1149549	20102112

पूँजीगत व्यव

कुल दिवार पूँजी निर्माण			पूँजी अन्वरण			आण और अग्रिम				
भवन एवं अन्य मरमीने एवं निर्माण- कार्य	उपकरण		स्टालों में शुद्ध वृद्धि निकायों को	स्थानीय अन्य सेक्टरों को		पूँजी शेवरों में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को	सार्वजनिक कार्यों की अवधिगियां	कुल पूँजीगत व्यव (10 से 18)
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2303146	35504	325436	0	12775	2222564	30000	893419	0	5822844	10518895
124	230	0	0	0	0	0	5008	0	5362	79472
394950	10810	325436	0	11775	0	0	33100	0	776071	4388839
25233	7308	0	0	1000	200	0	132013	0	165754	520041
223472	13	0	0	0	2080604	0	665200	0	2969289	3000462
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1659367	13149	0	0	0	14000	30000	0	0	1716516	2282183
0	3994	0	0	0	127760	0	58098	0	189852	247898
7377	4	0	0	0	0	0	0	1761857	1769238	3950667
1540	2	0	0	0	0	0	0	0	1542	124143
5837	2	0	0	0	0	0	0	1761857	1767696	3826524
4214381	200491	325436	229776	109658	2271124	55000	933163	1761857	1010086	30202998

सारणी
आर्थिक एवं कार्य सम्बंधी वर्गांकरण

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गांकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1- सामान्य सेवाये	3972769	52916	3919853	0	8	681646	1068752	5670259
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	3969143	52901	3916242	0	8	677420	1068752	5662422
1.1.1- सामान्य प्रशासन	493693	15317	478376	0	8	3322	0	481706
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	416279	9107	407172	0	0	2190	0	409362
1.1.3- न्याय	302383	1142	301241	0	0	0	0	301241
1.1.4- कारगार	87077	190	86887	0	0	1	0	86888
1.1.5- पुलिस	2052846	27145	2025701	0	0	1036	0	2026737
1.1.6- अन्य सामान्य सेवाये	616865	0	616865	0	0	670871	1068752	2356488
1.2- सामान्य शोध	3626	15	3611	0	0	4226		7837
2- सुरक्षा	6387	205	6182	0	0	2321	0	8503
3- शिक्षा	612036	1117317	-505281	0	0	5233829	0	4728548
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	102361	0	102361	0	0	17320	0	119681
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधाये	509675	1117317	-607642	0	0	5216509	0	4608867
4- स्वास्थ्य	1746890	3828	1743062	0	0	16041	0	1759103
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	50874	0	50874	0	0	362	0	51236
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यावितगत स्वास्थ्य सेवाये	1696016	3828	1692188	0	0	15679	0	1707867
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाये	1076178	5183	1070995	0	6197	969414	0	2046606
5.1- समाज कल्याण सेवाये	1001192	5183	996009	0	6197	945240	0	1947446
5.2- समाज सुरक्षा सेवाये	74986	0	74986	0	0	24174	0	99160
6- आवास एवं सामुदायिक सेवाये	251601	3000	248601	0	15820	51609	176515	492545
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाये	34165	23	34142	0	0	7154	0	41296

- 6.3

2016-2017 (आय-व्ययक अनुमानित व्यय)

(लाख रुपयों में)

पूँजीगत व्यय										
कुल स्थिर पूँजी निर्माण		पूँजी अन्तरण				ऋण और अधिग्रहण			सार्वजनिक ऋणों की अदायगिता	कुल पूँजीगत व्यय (10 से 18)
		स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		पूँजी शेवरों में निवेश	स्थानीय निकायों को	अन्य सेक्टरों को		
भवन एवं अन्य निर्माण- कार्ब उपकरण										
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
280916	84213	0	36000	3032	5300	0	0	0	409461	6079720
228272	83914	0	36000	3032	5300	0	0	0	356518	6018940
65456	11133	0	0	3000	0	0	0	0	79589	561295
-124	1191	0	0	0	0	0	0	0	1067	410429
0	3480	0	0	0	0	0	0	0	3480	304721
49809	8817	0	0	0	0	0	0	0	58626	145514
117987	56149	0	0	0	5300	0	0	0	179436	2206173
-4856	3144	0	36000	32	0	0	0	0	34320	2390808
52644	299	0	0	0	0	0	0	0	52943	60780
0	66	0	0	7	0	0	0	0	73	8576
233982	5956	0	0	31140	150	0	0	0	271228	4999776
97286	378	0	0	29859	0	0	0	0	127523	247204
136696	5578	0	0	1281	150	0	0	0	143705	4752572
320438	67952	0	0	0	0	0	30100	0	418490	2177593
0	304	0	0	0	0	0	0	0	304	51540
320438	67648	0	0	0	0	0	30100	0	418186	2126053
276925	5992	0	0	526	2060	0	0	0	285503	2332109
102035	2636	0	0	526	1060	0	0	0	106257	2053703
174890	3356	0	0	0	1000	0	0	0	179246	278406
1075981	6547	0	332862	71607	50000	25000	84544	0	1646541	2139086
83701	938	0	0	451	0	0	5000	0	90090	131386

कार्य सम्बंधी / आर्थिक वर्गीकरण	चालू व्यय							
	खपत सम्बंधी चालू व्यय	घटाये (-) वस्तुओं की बिक्री	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	साधारण ऋण पर ब्याज	राज सहायता	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	कुल चालू व्यय (4 से 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8- आर्थिक सेवाये	1327958	22392	1305566	0	1708890	1378739	0	4393195
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	136160	7387	128773	0	8917	281554	0	419244
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	479771	7201	472570	0	1069888	39999	0	1582457
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	68731	6040	62691	0	24571	229026	0	316288
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	13545	50	13495	0	574761	819476	0	1407732
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	593445	501	592944	0	0	8673	0	601617
8.7- अन्य आर्थिक सेवाये	36306	1213	35093	0	30753	11	0	65857
9- अन्य सेवाये	26002	0	26002	2666521	0	600	0	2693123
9.1- विपदा सहायता	25914	0	25914	0	0	600	0	26514
9.2- अन्य विविध कार्य	88	0	88	2666521	0	0	0	2666609
योग	9053986	1204864	7849122	2666521	1730915	8341353	1245267	21833178

- 6.3

2016-2017 (आय-व्ययक अनुमानित व्यय)

(लाख रुपयों में)


पूँजीगत व्यय											
कुल स्थिर पूँजी निर्माण	भवन एवं अन्य निर्माण- कार्य	मरीने एवं उपकरण	पूँजी अन्तरण		पूँजी शेयरों में निवेश	ऋण और अधिस		सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	कुल पूँजीगत व्यय (10 से 18)	कुल योग (9+19)	
			स्थाकों में शुद्ध वृद्धि	स्थानीय निकायों को		अन्य सेक्टरों को	स्थानीय निकायों को				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2542974	38638	498275	0	10351	1153419	15000	499154	0	4757811	9151006	
1472	518	0	0	0	0	0	16430	0	18420	437664	
310952	11304	498275	0	9351	0	0	56500	0	886382	2468839	
30772	8641	0	0	1000	1000	0	92046	0	133459	449747	
247045	0	0	0	0	1142419	0	332600	0	1722064	3129796	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1952733	13437	0	0	0	10000	15000	0	0	1991170	2592787	
0	4738	0	0	0	0	0	1578	0	6316	72173	
5000	55	0	0	0	0	0	0	1511427	1516482	4209605	
4500	49	0	0	0	0	0	0	0	4549	31063	
500	6	0	0	0	0	0	0	1511427	1511933	4178542	
4819917	210357	498275	368862	117114	1210929	40000	618798	1511427	9395679	31228857	

आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)


मद	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- चालू व्यय	15455925	20102112	21833178
1.1- खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	5870289	6936178	7849122
1.2- साधारण ऋण पर ब्याज	1796141	2058744	2666521
1.3- राज सहायताये	1404186	1557533	1730915
1.4- परिवारों के आय खातों में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	5242767	8400108	8341353
1.5- स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	1142542	1149549	1245267
2- पूँजीगत व्यय	6317824	10100886	9395679
2.1- कुल स्थिर पूँजी निर्माण	3539047	4414872	5030274
2.1.1- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	3416863	4214381	4819917
2.1.2- मशीन एवं उपकरण	122184	200491	210357
2.2- स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	258737	325436	498275
2.3- पूँजीगत अन्तरण	239243	339434	485976
2.3.1- स्थानीय निकायों को	130038	229776	368862
2.3.2- अन्य सेक्टरों को	109205	109658	117114
2.4- पूँजी शेयरों में निवेश	1152411	2271124	1210929
2.5- ऋण एवं अग्रिम	187264	988163	658798
2.5.1- स्थानीय निकायों को	59515	55000	40000
2.5.2- अन्य सेक्टरों को	127749	933163	618798
2.6- सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	941122	1761857	1511427
योग	21773749	30202998	31228857

राज्य सरकार के चालू व्यय तथा पूंजीगत व्यय




राज्य सरकार के आय-व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण


(प्रतिशत व्यय)



वास्तविक
2014-15



पुनरीक्षित अनुमान
2015-16



आय-व्ययक अनुमान
2016-17

आर्थिक वर्गीकरण- प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

मा.	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- चालू व्यय	71.0	66.5	70.8
1.1- खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	27.0	23.0	25.5
1.2- साधारण ऋण पर ब्याज	8.2	6.8	8.6
1.3- राज सहायताये	6.5	5.1	5.6
1.4- परिवारों के आय खातें में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	24.1	27.8	27.1
1.5- स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	5.2	3.8	4.0
2- पूँजीगत व्यय	29.0	33.5	29.2
2.1- कुल स्थिर पूँजी निर्माण	16.2	14.7	16.4
2.1.1- भवन एवं अन्य निर्माण कार्य	15.7	14.0	15.7
2.1.2- मशीन एवं उपकरण	0.5	0.7	0.7
2.2- स्टाको में शुद्ध वृद्धि	1.2	1.0	1.6
2.3- पूँजीगत अन्तरण	1.1	1.2	1.6
2.3.1- स्थानीय निकायों को	0.6	0.8	1.2
2.3.2- अन्य सेक्टरों को	0.5	0.4	0.4
2.4- पूँजी शेयरों में निवेश	5.3	7.5	3.9
2.5- ऋण एवं अग्रिम	0.9	3.3	2.1
2.5.1- स्थानीय निकायों को	0.3	0.2	0.1
2.5.2- अन्य सेक्टरों को	0.6	3.1	2.0
2.6- सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	4.3	5.8	3.6
योग	100.0	100.0	100.0


आय-व्ययक का कार्य सम्बंधी वर्गीकरण

(लाख रुपयों में)

मद	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुभान 2015-2016	आय-व्ययक अनुभान 2016-2017
1	2	3	4
1- सामान्य सेवाये	4518399	5237214	6079720
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	4508577	5222520	6018940
1.1.1- सामान्य प्रशासन	387765	469087	561295
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	277284	298485	410429
1.1.3- न्याय	209322	255330	304721
1.1.4- कारागार	89378	132152	145514
1.1.5- पुलिस	1722802	1930967	2206173
1.1.6- अन्य सामान्य सेवाये	1822026	2136499	2390808
1.2- सामान्य शोध	9822	14694	60780
2- सुरक्षा	6695	4883	8576
3- शिक्षा	3340579	4554407	4999776
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	96228	196742	247204
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधाये	3244351	4357665	4752572
4- स्वास्थ्य	1306147	1891504	2177593
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	25181	43101	51540
4.2- अस्पतालों, दवाखानाओं एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाये	1280966	1848403	2126053
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाये	1607235	2359277	2332109
5.1- समाज कल्याण सेवाये	1171403	2216793	2053703
5.2- समाज सुरक्षा सेवाये	435832	142484	278406
6- आवास एवं सामुदायिक सेवाये	1440075	1450639	2139086
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाये	79702	235512	131386
8- आर्थिक सेवाये	6735269	10518895	9151006
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	141085	79472	437664
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	1729278	4388839	2468839
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	208740	520041	449747
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	2525481	3000462	3129796
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	1921672	2282183	2592787
8.7- अन्य आर्थिक सेवाये	209013	247898	72173
9- अन्य सेवाये	2739648	3950667	4209605
9.1- विपदा सहायता	2300	124143	31063
9.2- अन्य विविध कार्य	2737348	3826524	4178542
योग	21773749	30202998	31228857


राज्य सरकार के आय-व्ययक का कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण

(प्रतिशत व्यय)




वार्षिक
2014-15

- सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण
- स्वास्थ्य
- शिक्षा
- सामान्य सेवायें
- आर्थिक सेवायें
- अन्य सेवायें
- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें
- आवास एवं सामुदायिक सेवायें



पुनरीक्षित अनुमान
2015-16



आय-व्ययक अनुमान
2016-17

कार्य सम्बंधी वर्गीकरण- प्रतिशत वितरण

(प्रतिशत)

म्र	वास्तविक 2014-2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015-2016	आय-व्ययक अनुमान 2016-2017
1	2	3	4
1- सामान्य सेवाये	20.8	17.4	19.6
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	20.8	17.4	19.4
1.1.1- सामान्य प्रशासन	1.8	1.6	1.8
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	1.3	1.0	1.3
1.1.3- न्याय	1.0	0.9	1.0
1.1.4- कारागार	0.4	0.4	0.5
1.1.5- पुलिस	7.9	6.4	7.1
1.1.6- अन्य सामान्य सेवाये	8.4	7.1	7.7
1.2- सामान्य शोध	0.0	0.0	0.2
2- सुरक्षा	0.0	0.0	0.0
3- शिक्षा	15.3	15.1	16.0
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.4	0.7	0.8
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधाये	14.9	14.4	15.2
4- स्वास्थ्य	6.0	6.2	6.9
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.1	0.1	0.1
4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाये	5.9	6.1	6.8
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाये	7.4	7.8	7.5
5.1- समाज कल्याण सेवाये	5.4	7.3	6.6
5.2- समाज सुरक्षा सेवाये	2.0	0.5	0.9
6- आवास एवं सामुदायिक सेवाये	6.6	4.8	6.9
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाये	0.4	0.8	0.4
8- आर्थिक सेवाये	30.9	34.8	29.2
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.6	0.3	1.4
8.2- कृषि, बन, सिंचाई, मर्त्य एवं शिकार	7.9	14.5	7.9
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	1.0	1.7	1.4
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	11.6	9.9	10.0
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0.0	0.0	0.0
8.6- परिवहन एवं संचार	8.8	7.6	8.3
8.7- अन्य आर्थिक सेवाये	1.0	0.8	0.2
9- अन्य सेवाये	12.6	13.1	13.5
9.1- विपदा सहायता	0.0	0.4	0.1
9.2- अन्य विविध कार्य	12.6	12.7	13.4
योग	100.0	100.0	100.0

विकासगत तथा अविकासगत व्यय

व्यय की मर्दे	(व्यय लाख रुपयों में)			(प्रतिशत वितरण)		
	वास्तविक 2014–2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015–2016	आव्ययक अनुमान 2016–2017	वास्तविक 2014–2015	पुनरीक्षित अनुमान 2015–2016	आव्ययक अनुमान 2016–2017
1	2	3	4	5	6	7
1- विकासगत व्यय	14367922	20930762	20493292	66.0	69.2	65.5
1.1- शिक्षा	3340579	4554407	4999776	15.3	15.1	16.0
1.2- स्वास्थ्य	1306147	1891504	2177593	6.0	6.2	6.9
1.3- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें	1607235	2359277	2332109	7.4	7.8	7.5
1.4- आवास एवं सामुदायिक सेवायें	1440075	1450639	2139086	6.6	4.8	6.9
1.5- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	79702	235512	131386	0.4	0.8	0.4
1.6- आर्थिक सेवायें*	6594184	10439423	8713342	30.3	34.5	27.8
2- अविकासगत व्यय	7405827	9272236	10735565	34.0	30.8	34.5
2.1- सामान्य सेवायें	4518399	5237214	6079720	20.8	17.4	19.6
2.2- सुरक्षा	6695	4883	8576	0.0	0.0	0.0
2.3- आर्थिक सेवायें	141085	79472	437664	0.6	0.3	1.4
2.4- अन्य सेवायें**	2739648	3950667	4209605	12.6	13.1	13.5
योग	21773749	30202998	31228857	100.0	100.0	100.0

*इस शीर्षक के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन एवं विनियम सम्बंधी व्यय, जिनको अविकासगत व्यय के अन्तर्गत दिखाया गया है, सम्मिलित नहीं है। इन व्ययों को अविकासगत व्यय के मद 2.3 के अन्तर्गत दिखाया गया है।

**इस मद के अन्तर्गत दैवी आपदाओं के लिये तथा शारणार्थियों के लिये सहायता, सार्वजनिक ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी तथा अन्य ऋण एवं अग्रिम सम्बंधी व्यय सम्मिलित हैं।

अध्याय-7

कार्यात्मक वर्गीकरण पर टिप्पणी

1- सामान्य सेवायें-

सामान्य सेवाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं-

1.1-सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था-

1.1.1- सामान्य प्रशासन, विधान मण्डल व निर्वाचन-राज्यपाल, मंत्रिमण्डल एवं उनके कर्मचारी वर्ग, सचिवालय और मुख्यालयों के अधिष्ठानों, जिला प्रशासन, लोक सेवा आयोग, स्थानीय निधि लेखा परीक्षण अधिष्ठान तथा अन्य अधिष्ठानों इत्यादि के पारिश्रमिक तथा भवनों एवं कार्यालयों की सुविधाओं पर व्यय सम्मिलित है।

विधान मण्डल- राज्य के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, राज्य विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और विधान मण्डल के सदस्यों पर व्यय सम्मिलित है।

निर्वाचन- चुनाव के व्यय में निर्वाचन नामावलियों की तैयारी, वार्षिक पुनरीक्षण तथा छपाई, चुनाव कराने आदि के व्यय सम्मिलित है।

1.1.2- करों की उगाही पर व्यय- इसके अन्तर्गत बहुत जोत कर, भू-राजस्व, राज्य आबकारी शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री कर, विद्युत शुल्क उगाही, अन्य कर एवं शुल्क, स्टाम्प, निबन्धन फीस की उगाही तथा विभिन्न कर, विभागों के अधिष्ठान तथा भवन सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

भू-राजस्व के अन्तर्गत भू-अभिलेख, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त इत्यादि के व्यय “अन्य सामान्य सेवायें” उप शीर्षक में निहित किये जाने के कारण इस उपवर्ग में नहीं दिखाये गये हैं।

1.1.3- न्याय प्रशासन- न्याय प्रशासन, उच्च न्यायालय, विधि अधिकारी, महाप्रशासन तथा राजन्यासी, दीवानी तथा सत्र न्यायालय, लघुवाद न्यायालय आदि सम्बंधी व्ययों तथा निशुल्क कानूनी सहायता को इस उपवर्ग में प्रकट किया गया है।

1.1.4- कारागार- प्रधान निरीक्षक, कारागार प्रशिक्षण विद्यालय, बाल सुधार विद्यालय, कारागार सम्बंधी डिपों, केन्द्रीय कारागार, जिला कारागार, अल्प व्यस्यक कारागार, हवालातों, पुलिस अभिरक्षण तथा कारागारों के भवन निर्माण सम्बंधी व्यय को इस उपवर्ग के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

1.1.5- पुलिस- इसके अन्तर्गत पुलिस के कार्य-कलापों, उदाहरणार्थ पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस नियंत्रण, अपराध अनुसन्धान विभाग, पुलिस विकास योजनायें, जिला कार्यकारी दल, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, ग्राम पुलिस, विशेष पुलिस, विभागीय योजनायें, राज्य अग्नि शमन सेवायें तथा इमारतों के निर्माण सम्बंधी व्यय सम्मिलित हैं।

1.1.6- अन्य सामान्य सेवायें- इस उप शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सर्वेक्षण, बन्दोबस्त एवं भू-अभिलेखों, अर्थ एवं संछ्या निदेशालय, लाटरी, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, सूचना विभाग, नियोजन विभाग, भूमि बन्धक बैंक, राष्ट्रीय बचत योजना, स्वर्ण नियंत्रण, राज्य आस्थान विभाग,

पंचायती और स्थानीय प्रशासन के अधिष्ठान तथा भवन सम्बंधी व्यय और प्रकीर्ण अंशदान सम्मिलित है। अधिवर्ष भत्ता और पेंशन को सभी कार्य वर्गों में वेतन पर व्यय के अनुपात में बांट दिया गया है।

1.2- सामान्य शोध- इसके अन्तर्गत व्यापारिक एवं सामान्य शोध प्रदान करने वाले संस्थानों एवं संगठनों तथा तत्सम्बंधी वैज्ञानिक शोध एवं ज्ञान के विकास सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

2- सुरक्षा- इसके अन्तर्गत सैनिक स्कूल, सिविल डिफेंस सम्बंधी व्यय एवं इनसे सम्बंधित संयंत्रों के क्षय पर व्यय सम्मिलित है।

3- शिक्षा-

3.1- सामान्य प्रशासन विनियम एवं शोध - इसके अन्तर्गत शिक्षा विभाग का प्रशासन, शिक्षा परिषद, पाठ्य पुस्तक कमीशन तथा सामान्य विनियम एवं कार्यप्रणाली पर व्यय सम्मिलित हैं।

3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें- इसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर शिक्षा के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, कृषि एवं मेडिकल कालेज व उनके अस्पताल, पशु चिकित्सा शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों की पढ़ाई की सुविधा एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाओं; बधिर मूक एवं अन्धों के लिये विद्यालयों के प्राविधान, छात्र वृत्ति, मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक सहायता एवं शैक्षिक तथा प्रशिक्षण कार्यों हेतु ऋण एवं अनुदान परिव्यय सम्मिलित है।

4- स्वास्थ्य-

4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध- इसके अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशन, अस्पताल, डाक्टर, नर्सों आदि के विनियम तथा कार्य प्रणाली, मेषज नियन्त्रण व कार्यशाला, जन्म-मृत्यु की रजिस्ट्री, औद्योगिक स्वास्थ्य संगठन तथा इनसे सम्बंधित व्यय एवं शोध कार्य के व्यय सम्मिलित है।

4.2- अस्पतालों, दवाखानों एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवायें- इस उपरीषक में इन सेवाओं का समावेश किया गया है जिनका सम्बंध मानव रोगों के निवारण एवं रोकथाम से है। इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिष्ठानों, चिकित्सालयों एवं औषधालयों, मस्तिष्क रोग चिकित्सालयों, महामारी की रोकथाम, टीका लगाना, औषधियों और उपकरण तथा उसी प्रकार के अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों पर व्यय सम्मिलित किये गये हैं। परिवार कल्याण सम्बंधी व्यय भी इसी मद में सम्मिलित है।

5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवायें-

5.1- समाज कल्याण सेवायें- इन मदों के अन्तर्गत समाज एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं रसद, स्वर्णकारों पर व्यय, नशाबन्दी, महिला एवं बाल मंगल योजनायें, विधवा आश्रम, अनाथालय, निर्धन विद्यार्थियों, बाल कल्याण रूग्णालय तथा अवेक्षागृहों के लिये अभ्यागत केन्द्र, अन्धों को परिवीक्षा सेवायें, अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण सम्बंधी व्यय तथा अनुदान, कल्याणकारी समितियों के सहायतार्थ ऋण इस उपर्याप्त में सम्मिलित किये गये हैं।

5.2- समाज सुरक्षा सेवायें- इस उपर्याप्त में समाज सुरक्षा योजनायें, राज्य बीमा, बेरोजगारी भत्ता तथा वृद्धावस्था पेंशन सम्मिलित है।

6- आवास एवं सामुदायिक सेवायें-

इस मद के अन्तर्गत आवास सम्बंधी प्रशासन विनियम और अनुपोषण सुविधायें तथा तत्सम्बंधी शोध सहायता एवं व्यय सम्मिलित हैं। इसके अन्तर्गत नगर नियोजन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा तथा सामुदायिक विकास परियोजनाओं तथा उनसे सम्बंधित कार्य-कलापों की अभिवृद्धि पर व्यय सम्मिलित है। सभी विभागों के आवासीय भवनों पर व्यय इस मद में सम्मिलित है।

आवास निर्माण योजनायें, मलिन बस्तियों की सफाई कार्य, सड़कों की सफाई तथा अन्य स्वच्छता सेवायें तथा कूड़े एवं जल की निकासी, स्वच्छ एवं धुआँ रहित वातावरण सम्बंधी व्यय सम्मिलित किया गया है।

7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें-

इसके अन्तर्गत आमोद-प्रमोद सम्बंधी चल-चित्र का उत्पादन, उद्यानों, कीड़ा स्थलों, व्यायामशालाओं, खेल-कूद, पुस्तकालय, अजायबघर, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, एन.सी.सी. प्रशिक्षण, छात्रावास एवं अन्य आवास स्थान जिनका कार्य चालन वाणिज्यिक तौर पर नहीं किया जाता है तथा अलाभप्रद संस्थायें जो इस प्रकार के कार्य-कलाप में संलग्न हैं, को सहायतार्थ एवं उन पर व्यय सम्मिलित हैं। धार्मिक सेवायें जैसे- मंदिरों तथा अन्य धार्मिक संस्थाओं पर व्यय एवं सामान्य सहायतार्थ संगठनों को अनुदान सम्बंधी व्यय भी इस वर्ग में सम्मिलित हैं।

8- आर्थिक सेवायें-

8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध- इस उप शीर्षक में आर्थिक विभागों का सामान्य प्रशासन, विनियम तथा वाणिज्यिक पंजीकरण, तकनीकी, अभियन्त्रण, सेवायोजन, मानव शक्ति निदेशालय, श्रम विभाग, माप तथा बाँट विनियमन संस्थायें एवं उन समस्त उद्योगों के विनियमन, वृद्धि एवं शोध पर व्यय जो किसी विनिर्दिष्ट वर्ग में नहीं है, सम्मिलित है।

8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार- इस उप शीर्षक में इन विभागों तथा चकबन्दी का सामान्य प्रशासन, विनियम, शोध आदि पर व्यय सम्मिलित है। चकबन्दी, कृषि सम्बंधी प्रदर्शन, प्रचार परिव्यय, कृषि भवनों के निर्माण के लिये ऋण एवं अग्रिम, पशु एवं मत्स्य पालन के विकास तथा संचय सम्बंधी व्यय, अभिजन्न क्रियायें, रोगाणु व्यय तथा तत्सम्बंधी व्यय, ऋण अग्रिम एवं अनुदान, दुध सम्पूर्ति योजना के लिये पूंजीगत परिव्यय, भूमि संरक्षण एवं प्रयोग, कृषि, सिंचाई, वन, पशुपालन, मत्स्य एवं वन्य जीवन की संरक्षण एवं निवेश, बंजर भूमि के कृषिकरण, पौध रोपण, वनों के प्रयोग, आग संरक्षण तथा कृषक अनुदान तथा पशु चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं को भी सम्मिलित कर लिया गया है।

8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण कार्य- इसके अन्तर्गत खनिज तथा उद्योगों के निदेशालय, अधीक्षण, शोध विकास, कुटीर उद्योग, खादी एवं हथकरघा उद्योग के व्यय तथा औद्योगिक प्रयोजनार्थ अनुदान एवं औद्योगिक विकास के लिये पूंजीगत परिव्यय आदि निहित हैं।

8.4- विद्युत शक्ति, गैस, वाष्प एवं जल- इसके अन्तर्गत विद्युत शक्ति, गैस एवं वाष्प का उत्पादन, संचारण, वितरण आदि व्यय तथा राजकीय विद्युत परिषद को ऋण एवं अग्रिम तथा जल एकत्रीकरण, शुद्धीकरण, संचारण एवं वितरण सम्बंधी व्यय सम्मिलित है।

8.5- परमाणविक ऊर्जा- परमाणविक ऊर्जा सम्बंधी प्रशासन एवं शोध पर व्यय, परमाणु ऊर्जा आयोग, अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा वैधानिक संस्थाओं पर व्यय व अनुदान इसमें सम्मिलित है।

8.6- परिवहन तथा संचार- इसके अन्तर्गत सड़कों का सुधार एवं अनुरक्षण, सड़कों के लिये उपयोगिता यन्त्र तथा उपकरण, पूँजी अन्तरण, जल मार्गों सम्बंधी व्यय, राष्ट्रीय मार्गों, सड़कों तथा जल मार्गों एवं उनके अधिष्ठानों एवं प्रकाशन पर व्यय सम्मिलित है, साथ ही जल, थल एवं वायु द्वारा परिवहन एवं संचार सम्बंधी व्यय, सड़क परिवहन योजनाओं के चालू व्यय, राज्य कर्मचारी को वाहन क्रय हेतु ऋण आदि इसमें सम्मिलित है।

8.7- अन्य आर्थिक सेवायें- इसके अन्तर्गत बाढ़ नियन्त्रण, बहुधन्धी जल योजनायें, अग्रगामी योजनायें, भण्डारण, निबन्धक सहकारी समितियों के व्यय का समावेश किया गया है।

9- अन्य सेवायें-

9.1- विपदा सहायता- सूखा और बाढ़ सहायता, देवी आपदाओं के लिये सहायता, शरणार्थी सहायता आदि पर व्यय दिखाये गये हैं।

9.2- अन्य विविध कार्य- वे सेवायें जिनका वर्गीकरण कार्यात्मक वर्गीकरण के अन्य वर्ग में नहीं किया गया है जैसे जमीदारी प्रथा उन्मूलन प्रतिकर, अन्तरराज्य जल विवाद आयोग पर व्यय, भारत सेवक समाज को अनुदान सम्मिलित है। सामान्य ऋणों पर ब्याज, सार्वजनिक ऋणों की अदायगी, अनिर्दिष्ट अनुदान, अन्य घरेलू सेवाओं का अन्तरण तथा प्रकीर्ण ऋण भी इसके उदाहरण हैं।

परिशिष्ट-1 (अ)

आय-व्ययक का कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय

(लाख रुपयों में)

मद	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1- सामान्य सेवाये	1080326	1333280	1458470	1203583	2337336	2609341	3052868	3968790	4518399
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	1074408	1313165	1439027	1196257	2331748	2605209	3045340	3963198	4508577
1.1.1- सामान्य प्रशासन	113882	108041	658567	1133932	1081789	199111	252760	256447	387765
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	97917	108513	123752	268988	184628	200103	218602	250150	277284
1.1.3- न्याय	60323	65361	65782	107259	132330	160280	158201	187385	209322
1.1.4- कारागार	23842	24090	44065	50427	85267	57882	55543	70629	89378
1.1.5- पुलिस	397958	473258	30764	41592	47332	1034774	1267497	1481654	1722802
1.1.6- अन्य सामान्य सेवाये	380486	533902	516097	-405941	800402	953059	1092737	1716933	1822026
1.2- सामान्य शोध	5918	20115	19443	7326	5588	4132	7528	5592	9822
2- सुरक्षा	23725	26163	35955	51473	54040	57540	62389	82034	6695
3- शिक्षा	1346352	1500975	1883592	2043563	2588221	3347228	3447037	3227177	3340579
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	26606	35811	42290	65461	90022	75532	47771	82337	96228
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधायें	1319746	1465164	1841302	1978102	2498199	3271696	3399266	3144840	3244351
4- स्वास्थ्य	330656	321370	307702	471865	672986	687811	913396	1008421	1306147
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	14618	16066	34790	65808	31058	21681	26404	30205	25181
4.2- अस्पतालों, दवाखाना एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाये	316038	305304	272912	406057	641928	666130	886992	978216	1280966
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाये	401072	606001	884994	1102684	1176152	1249298	1388355	1674745	1607235
6- आवास एवं सामुदायिक सेवाये	310242	386764	630429	599047	621030	730230	769405	904345	1440075
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाये	33012	22040	126236	-17531	94026	-60024	40841	-25621	79702

पर	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8- आर्थिक सेवायें	2013430	2425267	2818131	3022487	2678113	3098668	3630012	4536029	6735269
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	94604	50830	59915	72442	100290	73164	134506	231546	141085
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	628734	717899	820537	846815	1092697	1147747	1181304	1362233	1729278
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	57228	102214	100883	80659	50938	79954	101691	132804	208740
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	575765	774142	834766	778422	686947	872169	932988	1281658	2525481
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6- परिवहन एवं संचार	672846	678961	748393	790141	840410	943168	1106292	1409813	1921672
8.7- अन्य आर्थिक सेवायें	-15747	101221	253637	454008	-93169	-17534	173231	117975	209013
9- अन्य सेवायें	1563822	1503267	1728286	1821210	2093346	2326537	2495955	2445999	2739648
कुल योग	7102637	8125127	9873795	10298381	12315250	14046629	15800258	17821919	21773749
(ब) विकासगत व्यय	4340160	5211587	6591169	7149673	7730238	8980047	10054540	11093550	14367922
(स) अविकासगत व्यय	2762477	2913540	3282626	3148708	4585012	5066582	5745718	6728369	7405827

परिशिष्ट-1 (ब)

आय-व्ययक का कार्य सम्बंधी वर्गीकरण तथा विकासगत एवं अविकासगत व्यय-

(प्रतिशत वितरण)

मद	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1- सामान्य सेवाये	15.2	16.4	14.8	11.7	19.0	18.5	19.3	22.2	20.8
1.1- सामान्य प्रशासन तथा सार्वजनिक शान्ति एवं व्यवस्था	15.1	16.2	14.6	11.6	18.9	18.5	19.3	22.2	20.8
1.1.1- सामान्य प्रशासन	1.6	1.3	6.7	11.0	8.8	1.4	1.6	1.4	1.8
1.1.2- करों की उगाही का व्यय	1.4	1.4	1.3	2.6	1.5	1.4	1.4	1.4	1.3
1.1.3- न्याय	0.8	0.8	0.7	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0
1.1.4- कारागार	0.3	0.3	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4
1.1.5- पुलिस	5.6	5.8	0.3	0.4	0.4	7.4	8.0	8.3	7.9
1.1.6- अन्य सामान्य सेवाये	5.4	6.6	5.2	-3.9	6.5	6.8	6.9	9.6	8.4
1.2- सामान्य शोध	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2- सुरक्षा	0.3	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0
3- शिक्षा	19.0	18.5	19.1	19.8	21.0	23.8	21.8	18.1	15.3
3.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.4	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.3	0.5	0.4
3.2- स्कूलों, विश्वविद्यालयों एवं अन्य शिक्षा सम्बंधी सुविधाये	18.6	18.0	18.6	19.2	20.3	23.3	21.5	17.6	14.9
4- स्वास्थ्य	4.7	4.0	3.1	4.6	5.5	4.9	5.8	5.7	6.0
4.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	0.2	0.2	0.3	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
4.2- अस्पतालों, दवाखाना एवं अन्य व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाये	4.5	3.8	2.8	4.0	5.2	4.7	5.6	5.5	5.9
5- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बंधी सेवाये	5.6	7.4	9.0	10.7	9.6	8.9	8.8	9.4	7.4
6- आवास एवं सामुदायिक सेवाये	4.4	4.8	6.4	5.8	5.0	5.2	4.9	5.1	6.6
7- सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवाये	0.5	0.3	1.3	-0.2	0.8	-0.4	0.2	-0.1	0.4

मद	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8- आर्थिक सेवाये	28.3	29.8	28.5	29.4	21.7	22.1	23	25.4	30.9
8.1- सामान्य प्रशासन, विनियम एवं शोध	1.3	0.6	0.6	0.7	0.8	0.5	0.9	1.3	0.6
8.2- कृषि, वन, सिंचाई, मत्स्य एवं शिकार	8.8	8.8	8.3	8.2	8.9	8.2	7.5	7.6	7.9
8.3- खनिज, उद्योग एवं निर्माण	0.8	1.3	1.0	0.8	0.4	0.6	0.6	0.7	1.0
8.4- विद्युत, गैस, वाष्प एवं पानी	8.1	9.5	8.4	7.6	5.6	6.2	5.9	7.2	11.6
8.5- परमाणविक ऊर्जा	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8.6- परिवहन एवं संचार	9.5	8.4	7.6	7.7	6.8	6.7	7	7.9	8.8
8.7- अन्य आर्थिक सेवाये	-0.2	1.2	2.6	4.4	-0.8	-0.1	1.1	0.7	1.0
9- अन्य सेवाये	22.0	18.5	17.5	17.7	17.0	16.6	15.8	13.8	12.6
कुल योग	100.0								
(ब) विकासगत व्यय	61.2	64.2	66.8	69.4	62.8	64.0	63.6	62.3	66.0
(स) अविकासगत व्यय	38.8	35.8	33.2	30.6	37.2	36.0	36.4	37.7	34.0

